


## अध्याय-IV बिक्री, व्यापार आदि पर कर

### 4.1 कर प्रशासन

बिक्री कर/मूल्य सर्वाधिकृत कर के कानून एवं उसके अधीन बने नियम, शासन स्तर पर प्रमुख सचिव (वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर) उत्तर प्रदेश द्वारा शासित होते हैं। कमिश्नर, वाणिज्य कर (क0वा0क0), उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग के प्रमुख हैं, जिनकी सहायता के लिये 100 एडीशनल कमिश्नर, 157 ज्वाइन्ट कमिश्नर (ज्वा0कमि0), 494 डिप्टी कमिश्नर (डि0कमि0), 964 असिस्टेन्ट कमिश्नर (असि0कमि0) एवं 1,275 वाणिज्य कर अधिकारी (वा0क0अ0) होते हैं। सुसंगत कर कानूनों एवं नियमों को लागू करने में सम्बद्ध कर्मचारियों द्वारा उनकी सहायता की जाती है।

चार्ट 4.1 संगठनात्मक ढाँचा



### 4.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक नियंत्रण का अभिप्राय वैधानिक प्रावधानों, नियमों एवं विभागीय निर्देशों को व्यवस्थित रूप से लागू कराने में तर्कपूर्ण आश्वासनों को उपलब्ध कराना है। आन्तरिक नियंत्रण त्वरित एवं प्रभावी सेवाओं के लिये और कर एवं शुल्क के अपवंचन के विरुद्ध समुचित सुरक्षा के लिए विश्वसनीय वित्तीय एवं प्रबन्धन सूचना तंत्र के सृजन करने में भी सहायक है। अतः यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विभाग की है कि एक उचित आन्तरिक नियंत्रण संरचना स्थापित है तथा उसे प्रभावी बनाने हेतु समय-समय पर समीक्षा एवं अद्यतन किया जाता है।

#### 4.2.1 इकाइयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति


इकाइयों की वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा की गयी आन्तरिक लेखापरीक्षा **सारणी 4.1** में दर्शायी गयी है।

सारणी 4.1  
इकाइयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा

वर्ष	कुल इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षा के लिये योजित इकाइयाँ	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	कमी की प्रतिशतता
2011-12	667	667	379	43
2012-13	667	667	220	67
2013-14	673	673	172	74
2014-15	678	678	188	72
2015-16	681	202	200	01

स्रोत: कमिश्नर वाणिज्यकर द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े

चार्ट 4.2



यह दर्शाता है कि आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा इकाइयों की लेखापरीक्षा के लिये की गयी लेखापरीक्षा योजना यथार्थपरक नहीं है क्योंकि वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान कमी का विस्तार एक से 74 प्रतिशत था।

#### 4.2.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा में जनशक्ति की कमी

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के सभी पद रिक्त पड़े हुए थे तथा वरिष्ठ लेखा परीक्षकों/लेखा परीक्षकों के पदों में 56 से 75 प्रतिशत तक की भारी कमी थी। पदों को भरने के लिए विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किये गये थे।

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा क0वा0क0 के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा में कोई सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तैनात नहीं था, 13 सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं 91 वरिष्ठ लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों के स्वीकृत पद के विरुद्ध केवल 23 वरिष्ठ लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों की तैनाती थी, जैसा कि सारणी 4.2 में वर्णित है।

सारणी 4.2  
आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा में जनशक्ति की कमी

वर्ष	स्वीकृत पद		कार्यरत पद		रिक्त पद		कमी का प्रतिशत	
	स0ले0प0 अधिकारी	व0ले0परीक्षक /ले0परीक्षक	स0ले0प0 अधिकारी	व0ले0परीक्षक /ले0परीक्षक	स0ले0प0 अधिकारी	व0ले0परीक्षक /ले0परीक्षक	स0ले0प0 अधिकारी	व0ले0परीक्षक /ले0परीक्षक
2011-12	13	91	0	34	13	57	100	63
2012-13	13	91	0	24	13	67	100	74
2013-14	13	91	0	31	13	60	100	66
2014-15	13	91	0	28	13	63	100	69
2015-16	13	91	0	23	13	68	100	75

स्रोत: कमिश्नर वाणिज्यकर द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के सभी पद खाली पड़े हुए थे एवं वरिष्ठ लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों के पदों में 63 से 75 प्रतिशत तक की भारी कमी थी। आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा में खाली पड़े हुए पदों को भरने के लिए विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था।

4.2.3 अवशेष प्रस्तारों तथा उनकी वसूली की स्थिति


आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा उठायी गयी आपत्तियों, उनका अनुपालन तथा वसूली का विवरण सारणी 4.3 में दिया गया है।

सारणी 4.3  
अवशेष प्रस्तारों एवं उनकी वसूली की स्थिति

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		वर्ष के दौरान जुड़े मामले		वर्ष के दौरान निस्तारित मामले एवं उनकी वसूली		अन्तिम शेष	
	मामलों की सं०	धनराशि	मामलों की सं०	धनराशि	मामलों की सं०	धनराशि	मामलों की सं०	धनराशि
2011-12	9,082	7,423.46	1,546	1,373.28	344	171.39	10,284	8,625.35
2012-13	10,284	8,625.35	1,155	2,763.98	130	15.11	11,309	11,374.22
2013-14	11,309	11,374.22	552	897.44	278	182.57	11,583	12,089.09
2014-15	11,583	12,089.09	529	749.65	510	147.91	11,602	12,690.83
2015-16	11,602	12,690.83	587	223.66	316	108.59	11,873	12,805.90

स्रोत: कमिश्नर वाणिज्यकर द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े

चार्ट 4.3



### 31 मार्च 2016 को समाप्त हुये वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि इस अवधि में कर्मचारियों की भारी कमी ने आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा के प्रदर्शन को प्रभावित किया क्योंकि मामलों की संख्या और धनराशि में महत्वपूर्ण रूप से कमी आयी।

#### 4.3 लेखापरीक्षा के परिणाम


विभाग ने वर्ष 2015-16 में ₹ 47,692.40 करोड़ के राजस्व की वसूली की। वर्ष 2015-16 के दौरान हमने वाणिज्य कर विभाग की कुल 1,536 इकाइयों में से 167 वार्षिक इकाइयों, 73 द्विवार्षिक इकाइयों तथा 37 त्रिवार्षिक इकाइयों की लेखापरीक्षा के लिये योजना बनाई और उपरोक्त सभी योजित इकाइयों की नमूना जाँच की जिसमें कर के अवनिर्धारण और अन्य अनियमितताओं के ₹ 1,378.91 करोड़ के 1,557 मामले प्रकाश में आये, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत **सारणी 4.4** में दर्शाये गये हैं:

सारणी 4.4  
लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)			
क्र० सं०	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1	“उत्तर प्रदेश में वाणिज्य कर विभाग में राजस्व के बकाये के संग्रहण की प्रणाली” की लेखापरीक्षा	1	1,255.12
2	कर का अवनिर्धारण	433	30.56
3	त्रुटिपूर्ण सांविधिक प्रपत्रों की स्वीकार्यता	52	2.03
4	खरीद/बिक्री छिपाये जाने से करापर्वचन	21	0.52
5	आईटी0सी0 की अनियमित/गलत/अधिक अनुमन्यता	229	19.23
6	अन्य अनियमितताएं	821	71.45
<b>योग</b>		<b>1,557</b>	<b>1,378.91</b>

स्रोत: लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

चार्ट 4.4



वर्ष के दौरान विभाग ने 522 मामलों में ₹ 860.41 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिसमें 242 मामले जिनमें ₹ 856.03 करोड़ की धनराशि सन्निहित थी, वर्ष 2015-16 में एवं शेष पूर्व के वर्षों में इंगित किये गये थे। 193 मामलों में ₹ 1.17 करोड़ की धनराशि की वसूली हुयी जिसमें 12 मामले जिनमें ₹ 47.44 लाख की धनराशि सन्निहित थी, वर्ष 2015-16 में इंगित किये गये थे, शेष पूर्व के वर्षों से सम्बन्धित थे।

“उत्तर प्रदेश में वाणिज्य कर विभाग में राजस्व के बकाये के संग्रहण की प्रणाली” की लेखापरीक्षा सन्निहित ₹ 1,255.12 करोड़ एवं अनुपालन में कमियों के कुछ अन्य निदर्शी मामले जिनमें ₹ 20.07 करोड़ सन्निहित है, की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तारों में की गयी है।

#### 4.4 “उत्तर प्रदेश में वाणिज्य कर विभाग में राजस्व के बकाये के संग्रहण की प्रणाली” की लेखापरीक्षा

##### 4.4.1 प्रस्तावना

वाणिज्य कर राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत है जो राज्य के कुल कर राजस्व का लगभग 58 प्रतिशत योगदान करता है। उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (उ0प्र0मू0सं0क0) अधिनियम प्रावधानित करता है कि कर निर्धारण प्राधिकारी (क0नि0प्रा0) जैसे ही कर निर्धारण आदेश पारित करता है, वह उ0प्र0मू0सं0क0 नियमावली के नियम 46(3) के अन्तर्गत व्यापारी को माँग पत्र प्रेषित करेगा। व्यापारी माँग पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर ऐसे निर्धारित कर को जमा करेगा। यदि व्यापारी कर को जमा करने में असफल रहता है, इसे उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (उ0प्र0ज0उ0 एवं भू0सु0 अधिनियम) के प्रावधानों के अन्तर्गत भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूला जा सकता है। राजस्व के बकाये की वसूली के सम्बन्ध में विभाग का अपना कोई अलग अधिनियम नहीं है। यदि बकाये की धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है, उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 33(12) के अन्तर्गत माँग पत्र प्राप्ति के 45 दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (रा0व0प्र0प0) निर्गत किया जाता है। क0नि0प्रा0 को अपने सम्बन्धित खण्डों में वसूली अधिकारी के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान की गयी है एवं उ0प्र0ज0उ0 एवं भू0सु0 अधिनियम के अन्तर्गत वसूली का कार्य सौंपा गया है। बकाये की वसूली बैंक शेष एवं सम्बद्ध किये गये सम्पत्ति के नीलामी द्वारा बिक्री से प्राप्ति से भी की जा सकती है। उन मामलों में जहाँ बकायेदार की राज्य में कोई सम्पत्ति नहीं है लेकिन किसी दूसरे राज्य में उनकी सम्पत्ति है, सम्बन्धित कर निर्धारण प्राधिकारी से वांछित है कि वह राजस्व वसूली (रा0व0) अधिनियम, 1890 के प्रावधानों के अन्तर्गत दूसरे राज्य के राजस्व प्राधिकारी को बकाये की वसूली के लिए पत्र प्रेषित करे। इसके लिए आवश्यक है कि रा0व0प्र0प0 को राज्य के उस जिले के जिलाधिकारी को, जहाँ बकायेदार की सम्पत्ति है, अग्रसारित किया जाये।

##### 4.4.2 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से सम्पादित की गयी थी कि:

- बकाये का समय से संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों का प्रभावकारी ढंग से अनुपालन किया गया है;
- कर के बकाये की वसूली की प्रणाली दक्ष एवं प्रभावकारी है, एवं
- राजस्व के बकाये की त्वरित वसूली हेतु पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण तंत्र विद्यमान है।

##### 4.4.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति

उत्तर प्रदेश में वाणिज्य कर विभाग में राजस्व के बकाये के संग्रहण की प्रणाली की लेखापरीक्षा दिसम्बर 2015 एवं मई 2016 के मध्य सम्पादित की गयी जिसमें 2011-12 से 2015-16 की अवधि आच्छादित थी। उच्चतर राजस्व बकाये के आधार पर लेखापरीक्षा हेतु वाणिज्य कर विभाग के 20 जोनों में से पाँच जोनों का चयन उच्च,

### 31 मार्च 2016 को समाप्त हुये वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)

मध्यम एवं निम्न जोखिम क्षेत्रों में वर्गीकृत करने के पश्चात किया गया। पाँच चयनित जोनों में 106 खण्ड थे जिनमें मार्च 2015 के कुल राजस्व बकाये ₹ 26,347.13 करोड़ में से ₹ 13,780.15 करोड़ का राजस्व बकाया सन्निहित था। उपरोक्त चयनित पाँच जोनों के 106 खण्डों में से 53 खण्डों<sup>1</sup> जिनका राजस्व बकाया ₹ 4,059.16 करोड़ था का चयन विस्तृत लेखापरीक्षा एवं सूचनाओं के संकलन के लिए किया गया था।

एक प्रारम्भिक गोष्ठी 03 फरवरी 2016 को शासन एवं विभाग के साथ आयोजित की गयी जिसमें विशेष कार्याधिकारी ने शासन का प्रतिनिधित्व किया एवं एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर नें विभाग का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति के बारे में अवगत कराया गया। 09 सितम्बर 2016 को शासन एवं विभाग के साथ एक समापन गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विशेष कार्याधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन एवं एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर विभाग से चर्चा की गयी। शासन/विभाग के अभिमत को संगत प्रस्तारों में शामिल किया गया है।

#### 4.4.4 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक सूचना एवं अभिलेखों को उपलब्ध कराने के लिए दिये गये सहयोग हेतु वाणिज्य कर विभाग का आभार व्यक्त करता है।

#### 4.4.5 बकाये की स्थिति

##### 4.4.5.1 बकाया एवं उसकी वसूली का विवरण

बकाये की धनराशि जो कि 1 अप्रैल 2011 को ₹ 16,665.41 करोड़ थी 31 मार्च 2016 को बढ़कर ₹ 27,188.58 करोड़ हो गयी, इस प्रकार 63.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी।

वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान राजस्व के बकाये के प्रारम्भिक शेष, वृद्धि, निस्तारण एवं अन्तिम शेष की स्थिति सारणी 4.5 में दर्शायी गयी है।


सारणी 4.5  
बकाया एवं उसकी वसूली का विवरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वृद्धि	न्यायालयों द्वारा कम की गयी अथवा अपलेखन की धनराशि	(₹ करोड़ में)	
				वर्ष के दौरान वसूली	अन्तिम शेष
2011-12	16,665.41	8,810.87	4,815.49	1,700.51	18,960.28
2012-13	18,960.28	11,474.50	5,633.74	1,950.51	22,850.53
2013-14	22,850.53	9,394.44	5,371.68	2,411.65	24,461.64
2014-15	24,461.64	9,540.36	4,929.17	2,725.70	26,347.13
2015-16	26,347.13	8,997.10	5,637.00	2,844.99	27,188.58
	योग	48,217.27	26,387.08	11,633.36	

स्रोत: कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े

<sup>1</sup> खण्ड 1, 3, 5, 8, 11, 12 एवं 14 इलाहाबाद, खण्ड 1 एवं 3 बस्ती, खण्ड 1 देवरिया, खण्ड 1 फतेहपुर, ज्वा0 कमि0(का0स0), खण्ड 1, 2 एवं 3 गौतम बुद्ध नगर, खण्ड 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11 एवं 12 गाजियाबाद, ज्वा0 कमि0(का0स0), खण्ड 1, 2, 4, 9 एवं 12 गोरखपुर, खण्ड 3 हापुड, खण्ड 1 एवं 2 कुशीनगर, खण्ड 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11 एवं 12 लखनऊ, खण्ड 2, 3, 4, 10, 13 एवं 14 नोएडा, खण्ड 1 एवं 2 प्रतापगढ़, खण्ड 2 संत कबीर नगर, खण्ड 1 एवं 2 सिद्धार्थनगर एवं खण्ड 2 रायबरेली।

चार्ट 4.5



सारणी 4.5 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2011-12 के प्रारम्भ में ₹ 16,665.41 करोड़ का बकाया था। वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान ₹ 48,217.27 करोड़ की वृद्धि हुयी, ₹ 26,387.08 करोड़ न्यायालयों द्वारा कम किया गया या अपलिखित हुआ एवं इसी अवधि के दौरान ₹ 11,633.36 करोड़ की वसूली हुयी। वर्ष 2011-12 के अन्त के राजस्व बकाये की तुलना में वर्ष 2015-16 के अन्त तक ₹ 8,228.30 करोड़<sup>2</sup> के बकाये की वृद्धि हुई। ₹ 27,188.58 करोड़ में से ₹ 4,270.19 करोड़ की माँग भू-राजस्व के बकाये की भौति वसूली के लिए प्रमाणित किया गया था एवं ₹ 1,195.28 करोड़ के वसूली प्रमाण पत्र दूसरे राज्यों को प्रेषित किये गये हैं। ₹ 4,122.26 करोड़ की वसूली न्यायालयों, अपीलीय प्राधिकारियों एवं शासन द्वारा स्थगित की गयी जबकि ₹ 587.59 करोड़ की वसूली सरकारी/अर्ध सरकारी विभागों के विरुद्ध लम्बित थी। ₹ 1,514.74 करोड़ की वसूली के लिए विभाग ने कहा कि यह एक विभागीय अधिकारी एवं एक राजस्व विभाग के अधिकारी के संयुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर अपलेखन के लिए संभावित थी। ट्रान्सपोर्टों द्वारा बिना उपयुक्त कागजात के माल का परिवहन किये जाने के कारण देय कर ₹ 41.37 करोड़ की वसूली लम्बित थी। अवशेष ₹ 15,457.15 करोड़ की धनराशि के लिए विभाग में विशेष कार्यवाही की जा रही थी।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि राजस्व बकाये की वसूली हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

#### 4.4.5.2 अवधि वार बकाये की स्थिति

विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी 31 मार्च 2016 को बकाया की अवधिवार स्थिति को सारणी 4.6 मे दर्शाया गया है।

सारणी 4.6  
अवधि वार बकाये की स्थिति

बकाये की आवर्तिता	प्रकरणों की संख्या	धनराशि	बकाये का प्रतिशत
10 वर्ष एवं अधिक पुराने	1,31,720	2,264.01	31.22
पाँच वर्ष एवं अधिक परन्तु 10 वर्ष से कम पुराने	74,664	1,398.76	19.28
एक वर्ष एवं अधिक परन्तु पाँच वर्ष से कम पुराने	88,796	2,165.54	29.86
एक वर्ष से कम पुराने	40,420	1,424.28	19.64
<b>योग</b>	<b>3,35,600</b>	<b>7,252.59<sup>3</sup></b>	<b>100</b>

स्रोत: कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े

<sup>2</sup> अन्तिम शेष 2015-16 (₹ 27,188.58) एवं अन्तिम शेष 2011-12 (₹ 18,960.28) के बीच का अन्तर।

<sup>3</sup> वर्ष 2015-16 के अन्तिम अवशेष एवं अवधिवार उपलब्ध कराये गये कुल बकाये में भिन्नता के लिए विभाग से कारण पूछा गया था। हमारे बार-बार अनुरोध के बाद भी विभाग ने भिन्नता का कारण उपलब्ध नहीं कराया (अक्टूबर 2016)।

सारणी से यह देखा जा सकता है कि 51 प्रतिशत बकाया वसूली हेतु पाँच वर्ष से अधिक समय से लम्बित था।

## लेखापरीक्षा निष्कर्ष

### 4.4.6 पृथक वसूली प्रकोष्ठ का न होना

विभाग में उत्तरोत्तर बढ़ रहे बकाये के निपटारे के लिए पृथक वसूली प्रकोष्ठ न होने के कारण वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ करने में असामान्य विलम्ब हुआ।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 के सम्बन्ध में क0नि0प्रा0 बकाये की वसूली को प्रभावी करने के लिए उत्तरदायी हैं। परिक्षेत्र स्तर पर ज्वाइन्ट कमिश्नर एवं संभाग स्तर पर एडीशनल कमिश्नर, क0वा0क0 के समग्र नियंत्रण में वसूली की निगरानी करने के लिए उत्तरदायी हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 20 जिलों में 20 कर वसूली अधिकारी खण्डों से समन्वय स्थापित करने, संग्रह अमीन के कार्यों के अनुश्रवण करने एवं बकाये की तीव्रता से वसूली करने हेतु तैनात हैं। अवशेष जिलों में बकाये की वसूली जिलाधिकारी के माध्यम से की जाती है। बकाये से निपटने के लिए पृथक वसूली प्रकोष्ठ नहीं है। विशिष्ट नीति/तंत्र के न होने के कारण अवशेष जिलों में वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ होने में असामान्य विलम्ब हुआ। आच्छादित अवधि के दौरान यद्यपि कि बकाये में वृद्धि हुई लेकिन राजस्व बकाये की वसूली में सीधे लगी जनशक्ति में आठ से 100 प्रतिशत के मध्य अत्यन्त कमी थी।

यह स्पष्ट था कि क0नि0प्रा0 को राजस्व संग्रह, प्रशासनिक कार्य, कर का निर्धारण, सर्वेक्षण कार्य एवं उन्हें समय-समय पर सौंपे गये सम्बद्ध कार्य के साथ वसूलियों को प्रभावी बनाने का कार्य अप्रभावी सिद्ध हुआ एवं परिणामस्वरूप बकाये का संचयन हुआ। बकाये की वसूली में सीधे लगे कर्मचारियों के सभी संवर्गों में आठ प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य भारी कमी ने राजस्व बकाये के संग्रहण को प्रभावित किया।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि 55 जिलों में जहाँ कर का संग्रह राजस्व प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है वहाँ नोडल अधिकारी को नामित किये जाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

शासन प्रत्येक जिले में कर वसूली अधिकारी को तैनात करने एवं बकाये की वसूली पर विशेष ध्यान देने के लिए समर्पित वसूली तंत्र स्थापित करने पर विचार कर सकता है।

### 4.4.7 वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ करने में विलम्ब

#### 4.4.7.1 बकाये की वसूली हेतु अनुसरण की कार्यवाही प्रारम्भ करने में कमियाँ

माँग पत्र के तामील न कराये जाने अथवा असामान्य विलम्ब से तामील कराये जाने के कारण 979 मामलों जिनमें ₹ 217.51 करोड़ का बकाया सन्निहित था की वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ करने में विलम्ब हुआ।

उ0प्र0मू0सं0क0 नियमावली के नियम 46 के प्रावधानों के अनुसार धारा 25 अथवा 26 अथवा 28 के अन्तर्गत क0नि0प्रा0 द्वारा निर्धारित किये गये कर से कम कर जमा किया गया है तो ऐसी धनराशि को माँग पत्र की प्राप्ति की तिथि के 30 दिन के अन्दर व्यापारी को जमा करना अपेक्षित है, ऐसा करने में असफल रहने पर धनराशि भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूल की जानी है। क0वा0क0 ने परिपत्र दिनांक 30 मई 2011 द्वारा निर्देशित किया था कि अगर धनराशि का भुगतान नहीं होता है तो



माँग पत्र की अवधि समाप्त होने के 45 दिन के अन्दर रा0व0प्र0प0 जारी कर दिया जाये।

हमने चयनित खण्डों के वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि के आर-3<sup>4</sup> पंजिका की जाँच की एवं पाया कि 79,761 में से 979 मामलों जिसमें सन्निहित बकाया ₹ 217.51 करोड़ था, में राजस्व वसूली की कार्यवाही लम्बित थी एवं कर निर्धारण के पश्चात माँग पत्र को तामील न कराये जाने अथवा दो दिन से दो वर्ष छः माह के मध्य विलम्ब से तामील कराये जाने के कारण विलम्बित थी। विवरण सारणी 4.7 में दर्शाया गया है।

सारणी 4.7  
माँग पत्रों को तामील कराने में विलम्ब/विफलता

(₹ लाख में)		
विलम्ब की अवधि/तामील नहीं कराये गये	माँग पत्रों की संख्या	धनराशि
एक वर्ष एवं अधिक	15	66.91
छः माह एवं अधिक परन्तु एक वर्ष से कम	103	1,554.76
छः माह से कम	854	20,094.40
व्यापारियों को तामील नहीं करायी गयी	7	35.25
<b>योग</b>	<b>979</b>	<b>21,751.32</b>

स्रोत: आर-3 पंजिका के आधार पर उपलब्ध सूचना

माँग पत्र को विलम्ब से अथवा न तामील कराये जाने के कारण वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने में विलम्ब हुआ जिससे अंततोगत्वा राजस्व बकाया की वसूली अभी तक नहीं हो पायी।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि माँग पत्र समय से प्राप्त कराये जाने के लिए अगस्त 2016 में निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

#### 4.4.7.2 रा0व0प्र0प0 जारी करने में विलम्ब

विलम्ब से राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जाने के कारण 1,021 मामलों जिनमें ₹ 234.79 करोड़ की धनराशि सन्निहित थी वसूली की कार्यवाही करने में विलम्ब हुआ।

हमने चयनित खण्डों के वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि के आर-3 पंजिका की जाँच की एवं पाया कि 79,761 मामलों में से 1,021 मामले जिनमें ₹ 234.79 करोड़ की धनराशि सन्निहित थी वसूली के लिये लम्बित थे, रा0व0प्र0प0 एक दिन से लेकर दो वर्ष 11 माह तक के विलम्ब से जारी किये गये थे। विवरण सारणी 4.8 में दर्शाया गया है।

सारणी 4.8  
राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जाने में विलम्ब

(₹ लाख में)		
विलम्ब की अवधि	रा0व0प्र0प0 की संख्या	धनराशि
दो वर्ष एवं अधिक	20	133.16
एक वर्ष एवं अधिक परन्तु दो वर्षों से कम	23	119.04
एक वर्ष से कम	978	23,227.18
<b>योग</b>	<b>1,021</b>	<b>23,479.38</b>

स्रोत-आर-3 रजिस्टर में उपलब्ध सूचनाएं

<sup>4</sup> कर-माँग पंजिका

रा0व0प्र0प0 जारी किये जाने में शिथिलता के कारण वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ करने में विलम्ब हुआ जिसके फलस्वरूप अभी तक बकाया की वसूली नहीं हो सकी।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग न हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि समय से रा0व0प्र0प0 जारी किये जाने के लिए अगस्त 2016 में निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

शासन को रा0व0प्र0प0 को समय से जारी करने के लिये एक प्रणाली विकसित करने पर विचार करना चाहिये।

#### 4.4.7.3 बकाया की वसूली के लिए रा0व0प्र0प0 का जारी न किया जाना

माँग पत्रों को प्राप्त कराये जाने के सात माह से लेकर 15 वर्ष तक व्यतीत हो जाने के पश्चात भी ₹ 84.90 लाख की वसूली के लिए रा0व0प्र0प0 जारी नहीं किये गये थे।

हमने चयनित खण्डों के बकाया अभिलेखों की जाँच की एवं पाया कि चार खण्डों<sup>5</sup> के



चार व्यापारियों ने वर्ष 1998-99 से 2010-11 की अवधि के लिए निर्धारित किये गये देय ₹ 84.90 लाख को अदा नहीं किया था। इन व्यापारियों के कर निर्धारण मार्च 2001 एवं अप्रैल 2015 के मध्य निस्तारित किये गये थे। व्यापारियों को माँग पत्र प्राप्त कराये जाने के सात माह से लेकर 15 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी रा0व0प्र0प0 जारी नहीं किये गये थे। इसके फलस्वरूप ₹ 84.90 लाख की वसूली में विलम्ब हुआ।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग न हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि समय से रा0व0प्र0प0 जारी किये जाने के लिए अगस्त 2016 में निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

#### 4.4.7.4 रा0व0प्र0प0 में तिथि एवं ब्याज की दर अंकित न किया जाना

ब्याज की दर एवं दिनांक जिससे ब्याज देय था के कालम, छब्बीस रा0व0प्र0प0 में जिसमें ₹ 321.44 करोड़ का बकाया सन्निहित था भरे नहीं गये थे, जिससे ब्याज की धनराशि का आकलन नहीं किया जा सका।

हमने चयनित खण्डों के बकाया अभिलेखों की जाँच की एवं आठ खण्डों<sup>6</sup> में पाया कि 20 व्यापारियों के मामलों में 26 रा0व0प्र0प0 ₹ 321.44 करोड़ की वसूली के लिए जारी किये गये थे। रा0व0प्र0प0 के महत्वपूर्ण कालम जैसे कि ब्याज की दर एवं दिनांक जिससे ब्याज देय था भरे नहीं गये थे। यद्यपि कि अधिनियम में इसका प्रावधान किया गया था परन्तु उन्हें सॉफ्टवेयर में समाविष्ट नहीं किया गया था। सॉफ्टवेयर में स्वयं से दर अंकित करने का कोई प्रावधान नहीं था। ब्याज की दर एवं दिनांक जिससे ब्याज देय था, के कालम खाता पालकों द्वारा हाथ से भरे गये थे। हमने खण्ड 2 एवं 3 गौतम बुद्ध नगर में देखा कि वर्ष 2015-16 के दौरान राजस्व बकाये की वसूली के लिए 2,193 रा0व0प्र0प0 जारी किये गये थे परन्तु किसी भी रा0व0प्र0प0 के कालम में ब्याज

<sup>5</sup> खण्ड 14 इलाहाबाद, ज्वा0कमि0(का0स0) गौतम बुद्ध नगर, खण्ड 1 गोरखपुर एवं खण्ड 2 रायबरेली।

<sup>6</sup> खण्ड 1 इलाहाबाद, खण्ड 2 एवं 3 गौतम बुद्ध नगर, खण्ड 6 गाजियाबाद, खण्ड 1 कुशीनगर, खण्ड 12 लखनऊ एवं खण्ड 3 एवं 4 नोएडा।

की दर एवं दिनांक जिससे ब्याज देय है हाथ से नहीं भरे गये थे, यद्यपि कि ब्याज की दरें अधिनियम में प्रावधानित हैं। उपरोक्त विवरण के अभाव में ब्याज की धनराशि का आकलन नहीं किया जा सका।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि रा0व0प्र0प0 में ब्याज की दर एवं दिनांक अंकित किये जाने के लिए अगस्त 2016 में निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

#### 4.4.7.5 रा0व0प्र0प0 में त्रुटिपूर्ण तिथि एवं ब्याज की दर अंकित किया जाना

रा0व0प्र0प0 में 12 प्रतिशत के बजाय 15 प्रतिशत की दर से ब्याज की माँग किये जाने के कारण व्यापारियों से गलत ब्याज की माँग की गयी एवं गलत बकाया संचित हुआ।

हमने चयनित खण्डों के बकाया अभिलेखों की जाँच की एवं सात खण्डों<sup>7</sup> में पाया कि ₹ 189.86 करोड़ के बकाया की वसूली के लिए 15 रा0व0प्र0प0 12 प्रतिशत के बजाय 15 प्रतिशत की दर से ब्याज की माँग करते हुए जारी किये गये थे एवं एक प्रकरण में 10 फरवरी 2014 के बजाय 1 अक्टूबर 2008 से ब्याज की माँग की गयी थी। निर्धारित कालमों में त्रुटिपूर्ण ब्याज की दर एवं तिथि अंकित किये जाने का कोई कारण नहीं बताया गया था। इस प्रकार रा0व0प्र0प0 के निर्धारित कालमों में त्रुटिपूर्ण ब्याज की दर एवं तिथि अंकित किये जाने के कारण व्यापारियों से गलत ब्याज की माँग की गयी एवं बकाये का गलत संचयन हुआ (परिशिष्ट-XXII)।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि सभी मामलों में संशोधित रा0व0प्र0प0 जारी कर दिये गये हैं।

#### 4.4.7.6 त्रुटिपूर्ण रा0व0प्र0प0 के कारण कम ब्याज का प्रभारित किया जाना

त्रुटिपूर्ण वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जाने के कारण 10 व्यापारियों के मामले में ₹ 88.62 लाख कम ब्याज प्रभारित हुआ था।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 33(2) के अन्तर्गत कर का भुगतान करने के लिये जिम्मेदार प्रत्येक व्यापारी को देय तिथि की समाप्ति से पहले ऐसी कर की धनराशि को राजकीय कोष में जमा कर देना चाहिये जिसमें असफल रहने पर असंदत्त धनराशि पर निर्धारित अन्तिम दिनांक के ठीक अगले दिनांक से ऐसी धनराशि के भुगतान के दिनांक तक, सवा प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा।

हमने चयनित खण्डों के कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की एवं नौ खण्डों<sup>8</sup> में पाया कि क0नि0प्रा0 ने 10 व्यापारियों के वर्ष 2008-09 से 2013-14 तक के वर्ष के लिए अप्रैल 2013 से जून 2015 के मध्य कर निर्धारण करते समय स्वीकृत/अपवांचित बिक्री पर कर आरोपित किया एवं ₹ 2.01 करोड़ के कर की माँग सृजित की। देय तिथि से जमा करने की तिथि तक की अवधि के ब्याज की माँग किये जाने के बजाय माँग पत्र प्राप्ति की तिथि से ब्याज की माँग करते हुए रा0व0प्र0प0 जारी किये गये थे। इसके फलस्वरूप ₹ 88.62 लाख कम ब्याज का प्रभारण हुआ (परिशिष्ट-XXIII)।

<sup>7</sup> खण्ड 3 गाजियाबाद, खण्ड 3 हापुड़, खण्ड 12 लखनऊ, खण्ड 2, 3 एवं 14 नोएडा एवं खण्ड 2 रायबरेली।

<sup>8</sup> खण्ड 3, 5, 8 एवं 14 इलाहाबाद, खण्ड 1 बस्ती, खण्ड 2 गाजियाबाद, ज्वा0कमि0(का0स0) एवं खण्ड 1 गोरखपुर एवं खण्ड 2 रायबरेली।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि सभी मामलों में संशोधित रा0व0प्र0प0 जारी कर दिये गये हैं।

#### 4.4.7 आर-3 एवं आर-27 पंजिका का मिलान

आर-3 एवं आर-27 पंजिका के मिलान के सम्बन्ध में क0वा0क0 द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप आर-3 एवं आर-27 पंजिका के आँकड़ों में विसंगति रही।

क0वा0क0 ने पत्र दिनांक 30 मई 2011 द्वारा प्रत्येक खण्ड में आलेखक प्रालेखक-I एवं खाता पालक को यह निर्देशित किया था कि वे प्रत्येक माह के दूसरे सप्ताह में आर-3 पंजिका<sup>9</sup> एवं आर-27 पंजिका<sup>10</sup> का पुनर्मिलान करेंगे और यदि आँकड़ों में कोई विसंगति पायी जाती है तो इसे तुरन्त सुधारा जाना चाहिए।

हमने चयनित खण्डों के आर-3 एवं आर-27 पंजिका की जाँच की एवं छः खण्डों<sup>11</sup> में पाया कि 14 व्यापारियों से सम्बन्धित 15 रा0व0प्र0प0 में आर-3 एवं आर-27 पंजिका के आँकड़ों में भिन्नता थी। 12 रा0व0प्र0प0 के मामलों में ₹ 1.14 करोड़ का बकाया आर-3 रजिस्टर में निस्तारित दिखाया गया था जबकि आर-27 पंजिका में यह अनिस्तारित दिखाया जा रहा था।

इसी प्रकार तीन रा0व0प्र0प0 के सम्बन्ध में ₹ 9.47 लाख का बकाया आर-3 पंजिका में अनिस्तारित दिखाया जा रहा था, जबकि आर-27 पंजिका में यह निस्तारित दिखाया जा रहा था। यह दर्शाता है कि क0वा0क0 के निर्देशों का खण्ड के कर्मचारियों द्वारा अनुपालन नहीं किया गया था। क0नि0प्रा0 ने भी इसका अनुश्रवण नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप आर-3 एवं आर-27 पंजिका के आँकड़ों में विसंगति रही उसके द्वारा वसूली की कार्यवाही प्रभावित हुई (परिशिष्ट-XXIV)।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि अगस्त 2016 में आर-3 एवं आर-27 पंजिका के मिलान के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

#### 4.4.8 अन्य जिलों को प्रेषित किये गये रा0व0प्र0प0 का अनुसरण किये जाने में विफलता

अन्य जिलों को प्रेषित किये गये रा0व0प्र0प0 का अनुसरण किये जाने में विफलता के कारण 99 रा0व0प्र0प0 के मामलों में ₹ 79 करोड़ की धनराशि बिना वसूली के पड़ी रही।

उन मामलों में जहाँ बकायेदार खण्ड के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कोई सम्पत्ति नहीं रखता है किन्तु किसी अन्य खण्ड अथवा जिले के क्षेत्राधिकार में सम्पत्ति रखता है, वहाँ सम्बन्धित कर निर्धारण प्राधिकारी से अपेक्षित है कि वह राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के प्रावधानों के अन्तर्गत उस खण्ड अथवा जिले के राजस्व प्राधिकारी को बकाये

<sup>9</sup> कर निर्धारण के पश्चात यदि कोई धनराशि व्यापारी पर देय होती है उसे आर-3 रजिस्टर में अंकित किया जाता है। बकाये की वसूली के लिए जारी किये गये रा0व0प्र0प0 भी इसमें अंकित किये जाते हैं। माँग के विरुद्ध यदि कोई धनराशि व्यापारी द्वारा जमा की जाती है उसे भी आर-3 रजिस्टर के प्रावधानित कालमों में दर्ज किया जाता है।

<sup>10</sup> बकाये की वसूली के लिए जारी किये गये सभी रा0व0प्र0प0 इसमें दर्ज किये जाते हैं एवं जिस तिथि को इसे संग्रह अमीन को हस्तगत किया जाता है उसे भी अंकित किया जाता है। संग्रह अमीन से वापस प्राप्त किये गये रा0व0प्र0प0 भी इसमें अंकित किये जाते हैं।

<sup>11</sup> खण्ड 1, 8, 12 एवं 14 इलाहाबाद, खण्ड 1 गौतम बुद्ध नगर एवं खण्ड 1 लखनऊ।

की वसूली के लिए पत्र लिखे। इसके लिए रा0व0प्र0प0 को जिन जिलों में बकायेदार सम्पत्ति रखता है, के जिलाधिकारियों को अग्रसारित किया जाना अपेक्षित है।

हमने चयनित खण्डों के बकाये के अभिलेखों की जाँच की एवं 14 खण्डों<sup>12</sup> में पाया कि नमूना जाँच की गयी 15,632 में से 99 रा0व0प्र0प0 जो कि 50 व्यापारियों से सम्बन्धित थे क0नि0प्रा0 द्वारा वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान राज्य के अन्तर्गत दूसरे जिले के राजस्व प्राधिकारियों को ₹ 79 करोड़ के बकाये की भू-राजस्व की भाँति वसूली के लिए प्रेषित किये गये थे। क0नि0प्रा0 द्वारा आगे इन मामलों का अनुसरण सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ नहीं किया गया था, यद्यपि कि इन रा0व0प्र0प0 को अन्य जिलों को प्रेषित किये हुये एक माह से लेकर तीन वर्ष तीन माह तक का समय व्यतीत हो चुका था। क0नि0प्रा0 द्वारा रा0व0प्र0प0 का अनुसरण न किये जाने के कारण ₹ 79 करोड़ बिना वसूल हुए पड़ा रहा।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि राजस्व बकाये की वसूली के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

#### 4.4.9 अन्य राज्यों को प्रेषित किये गये रा0व0प्र0प0 का अनुसरण किये जाने में विफलता

**अन्य राज्यों को प्रेषित किये गये रा0व0प्र0प0 का अनुसरण करने में विफल रहने के कारण 604 रा0व0प्र0प0 के मामलों में ₹ 233.60 करोड़ बिना वसूली के पड़ा रहा।**

उन मामलों में जहाँ बकायेदार राज्य में कोई सम्पत्ति नहीं रखता है, परन्तु दूसरे राज्य में सम्पत्ति रखता है, सम्बन्धित क0नि0प्रा0 से अपेक्षित है कि वह सम्बन्धित राज्य के राजस्व प्राधिकारी से रा0व0 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बकाये की वसूली के लिए पत्र लिखे। इसके लिए राज्यों के जिलों के जिलाधिकारियों को जहाँ पर कि बकायेदार सम्पत्ति रखता है रा0व0प्र0प0 प्रेषित किया जाना अपेक्षित है। अग्रेतर, क0वा0क0 ने अन्य राज्यों को प्रेषित किये गये रा0व0प्र0प0 का अनुश्रवण करने के लिए विभिन्न डि0क0 को नोडल अधिकारी नामित किया था।

हमने चयनित खण्डों के बकाया के अभिलेखों की जाँच की एवं 18 खण्डों<sup>13</sup> में पाया कि नमूना जाँच किये गये 27,381 में से 604 रा0व0प्र0प0 जो कि 413 व्यापारियों से सम्बन्धित थे विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान दूसरे राज्य के राजस्व प्राधिकारियों को ₹ 233.60 करोड़ के बकाये को भू-राजस्व की भाँति वसूलने के लिए प्रेषित किये गये थे। परन्तु उन कार्यालयों में भी जहाँ नोडल अधिकारी नियुक्त हैं इन प्रकरणों का अनुसरण करने के सम्बन्ध में अभिलेखों में कुछ भी नहीं था। इस प्रकार, रा0व0प्र0प0 को अन्य राज्यों को प्रेषित किये यद्यपि दो माह से लेकर चार वर्ष आठ माह तक बीत गया था फिर भी इन मामलों का अनुसरण नहीं किया गया था। क0नि0प्रा0 द्वारा रा0व0प्र0प0 का अनुसरण करने में विफल रहने के कारण ₹ 233.60 करोड़ बिना वसूल हुए पड़ा रहा।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि राजस्व बकाये की वसूली के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

<sup>12</sup> खण्ड 3 गौतम बुद्ध नगर, खण्ड 1, 2, 3, 6, 9 एवं 11 गाजियाबाद, खण्ड 1 कुशीनगर, खण्ड 1 एवं 12 लखनऊ, खण्ड 3 एवं 10 नोएडा, खण्ड 2 रायबरेली एवं खण्ड 1 सिद्धार्थनगर।

<sup>13</sup> खण्ड 1 फतेहपुर, खण्ड 1 एवं 3 गौतम बुद्ध नगर, खण्ड 1, 2, 3, 9 एवं 11 गाजियाबाद, खण्ड 1, 2 एवं 12 लखनऊ, खण्ड 2, 3, 4, 10, 13 एवं 14 नोएडा एवं खण्ड 2 रायबरेली।

शासन अन्य जिले/राज्य जहाँ रा0व0प्र0प0 प्रेषित किये गये हैं के प्राधिकारियों के साथ नियमित समन्वय स्थापित करने के लिए तंत्र विकसित करने पर विचार कर सकता है ताकि बकाये की वसूली की जा सके।

#### 4.4.10 बकाये की वसूली हेतु बैंक खाते को सम्बद्ध न किया जाना

पाँच बकायेदार व्यापारियों के बैंक खाते को सम्बद्ध नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 420.22 करोड़ का बकाया बिना वसूली के पड़ा रहा।

क0नि0प्रा0 को अपने खण्डों में वसूली अधिकारी की भौतिक कार्य करने की शक्ति प्रदान की गयी है एवं उ0प्र0ज0उ0 एवं भू0सु0 अधिनियम के अन्तर्गत वसूली का कार्य सौंपा गया है। यदि व्यापारी देय कर जमा करने में असफल रहता है तो बकायेदार के बैंक खाते एवं सम्पत्ति को सम्बद्ध करने का आदेश निर्गत करना अपेक्षित है। बकाया की वसूली बैंक शेष एवं सम्बद्ध सम्पत्ति की नीलामी के पश्चात बिक्री से प्राप्ति द्वारा की जा सकती है।

हमने चयनित खण्डों के बकाया के अभिलेखों की जाँच की एवं चार खण्डों में पाया कि पाँच व्यापारियों पर वर्ष 2005-06 से 2010-11 की अवधि के लिए ₹ 420.22 करोड़ का निर्धारित कर बकाया था। बकाये की वसूली के लिए जुलाई 2009 एवं सितम्बर 2014 के मध्य रा0व0प्र0प0 जारी किये गये थे, परन्तु व्यापारियों ने ₹ 420.22 करोड़ का कर जमा नहीं किया था। रा0व0प्र0प0 को जारी किये एक वर्ष छः माह से लेकर छः वर्ष तक बीत चुके थे परन्तु क0नि0प्रा0 द्वारा बकाये की वसूली हेतु इन व्यापारियों के बैंक खातों को सम्बद्ध करने की कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं की गयी थी। इसके फलस्वरूप ₹ 420.22 करोड़ का बकाया बिना वसूली के पड़ा रहा। विवरण सारणी 4.9 में उल्लिखित हैं।

#### सारणी 4.9

#### बकाये की वसूली के लिए बैंक खाते को सम्बद्ध न किया जाना

					(₹ लाख में)
क्र० सं०	खण्ड का नाम	व्यापारी का नाम	देयों की अवधि	देय धनराशि	रा0व0प्र0प0 सं० एवं जारी करने का दिनांक
1.	ज्वा0कमि0(का0स0) गोरखपुर	उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2008-09	5.52	21 / 27.09.2012
2.	खण्ड 3 लखनऊ	रामा एजेन्सीज	2010-11	5.00	16718 / 18.09.2014
3.	खण्ड 11 लखनऊ	प्रगति मार्बल्स	2008-09	175.61	570 / 23.10.2013
		आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	2009-10	14.91	315 / 31.07.13
4.	खण्ड 12 लखनऊ	कमिश्नर खाद्य एवं सिविल आपूर्ति	2005-06 से 2007-08	41,821.00	91 / 06.07.2009
<b>योग</b>				<b>42,022.04</b>	

स्रोत: व्यापारियों की पत्रावलियों के आधार पर उपलब्ध सूचना

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि तीन मामलों में व्यापारियों के बैंक खाते को अभिग्रहीत कर लिया गया है, एक मामले में ₹ 5.52 लाख वसूल कर लिया गया है एवं एक मामले में व्यापारी विभाग विभागीय अपील में गया है एवं अपीलीय प्राधिकारी द्वारा वसूली पर रोक लगा दी गयी है।

#### 4.4.11 औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (औ0वि0पु0बो0) के समक्ष लम्बित मामलों में अनुगमन की कार्यवाही की कमी

**औ0वि0पु0बो0 के समक्ष दावा दाखिल न किये जाने के कारण ₹ 6.82 करोड़ का बकाया बिना वसूली के पड़ा रहा।**

रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष अनुबन्ध) अधिनियम, 1985 के अनुसार जहाँ पर इकाई को बीमार घोषित करने के लिए सन्दर्भ दाखिल कर दिया गया है एवं औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (औ0वि0पु0बो0) के समक्ष कार्यवाहियाँ लम्बित हैं, वहाँ बोर्ड की सहमति के बिना कम्पनी के विरुद्ध किन्हीं देयों की वसूली अथवा प्रवर्तन के लिए कोई मुकदमा दर्ज अथवा आगे जारी नहीं रखा जा सकता। जहाँ कोई कम्पनी बोर्ड द्वारा रुग्ण घोषित कर दी गयी हो, वहाँ विभाग को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये कम्पनी की देयताओं के विवरण में सभी बकायों को शामिल कर लिया गया है।

हमने चयनित खण्डों के बकाया अभिलेखों की जाँच की एवं खण्ड-6 गाजियाबाद में पाया कि सी0आर0 क्वायल एवं शीट के निर्माण एवं बिक्री में संलग्न एक व्यापारी को औ0वि0पु0बो0 ने दिसम्बर 2006 में रुग्ण इकाई घोषित कर दिया था। कम्पनी पर वर्ष 2006-07 के लिए ₹ 4.44 करोड़ एवं वर्ष 2009-10 के लिए ₹ 2.38 करोड़ के निर्धारित देयों का बकाया था। मार्च 2009 एवं सितम्बर 2013 में क्रमशः ₹ 4.44 करोड़ एवं ₹ 2.38 करोड़ की वसूली के लिए रा0व0प्र0प0 जारी किये गये थे। औ0वि0पु0बो0 के समक्ष ₹ 6.82 करोड़ की देयता के लिए दावा दाखिल किये जाने की सूचना अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी। यह दर्शाता है कि बकाये की वसूली के लिए औ0वि0पु0बो0 के समक्ष दावा दाखिल नहीं किया गया था एवं इसके फलस्वरूप ₹ 6.82 करोड़ बिना वसूली पड़ा रहा।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि क0नि0प्रा0 को कार्यकारी संस्था के समक्ष दावों को प्रस्तुत करने के लिये निर्देश जारी कर दिया गया है।

#### 4.4.12 शासकीय समापक (शा0स0) के समक्ष दावा दाखिल/अनुसरण करने में निष्क्रियता

**दावों को विलम्ब से दाखिल किये जाने एवं शा0स0 के साथ अनुसरण न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 61.43 करोड़ की देयता बिना वसूली के रह गयी।**

शासकीय समापक केन्द्रीय सरकार द्वारा कम्पनीज अधिनियम की धारा 448 के अन्तर्गत नियुक्त किये जाने वाले अधिकारी हैं। शा0स0 का प्राथमिक कार्य समापन की प्रक्रिया के अन्तर्गत की कम्पनी की परिसम्पत्तियों का प्रबन्धन करना, कम्पनी के विभिन्न लेनदारों एवं अंशधारकों के बीच उसे बंटवारे के उद्देश्य से सम्पत्ति की बिक्री करना एवं समापन प्रक्रिया के अन्तर्गत की कम्पनी से सभी कर्जों की वसूली करना और सभी मामलों के सम्पूर्ण रूप से समापन के पश्चात ऐसी कम्पनियों का अन्तिम रूप से विघटन करना है। कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 530(i)(क) के अनुसार सभी कर्जों एवं राजस्व करों आदि जो कि कम्पनी पर देय हैं प्राथमिकता के आधार पर केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्रशासक को सुसंगत तिथि को एवं जब देय हो उसके अगले 12 माह के अन्दर भुगतान करना होगा।

हमने चयनित खण्डों के बकाया अभिलेखों की जाँच की एवं दो खण्डों<sup>14</sup> में पाया कि तीन व्यापारियों पर वर्ष 1981-82 से 2007-08 की अवधि के लिए ₹ 61.43 करोड़ का

<sup>14</sup> खण्ड 12 लखनऊ एवं खण्ड 2 रायबरेली।

### 31 मार्च 2016 को समाप्त हुये वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)

बकाया था। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अगस्त 1998 एवं जुलाई 2011 के मध्य इन मामलों के लिए शा0स0 नियुक्त किया था। विभाग ने शा0स0 के समक्ष अपना दावा तीन वर्ष एक माह से लेकर चार वर्ष पाँच माह तक के विलम्ब से दर्ज कराया था। इस प्रकार विभाग की ओर से असामान्य विलम्ब के फलस्वरूप ₹ 61.43 करोड़ का बकाया बिना वसूली के रह गया जैसा कि सारणी 4.10 में दर्शाया गया है।

सारणी 4.10  
शा0 स0 के समक्ष दावे दाखिल/अनुसरण करने में निष्क्रियता

(₹ करोड़ में)					
क्र0 सं0	व्यापारी का नाम	अवधि	शा0स0 की नियुक्ति की तिथि	तिथि जब शा0स0 के समक्ष दावा दर्ज कराया गया	बकाया की धनराशि
1.	मे0 अपट्रान इण्डिया लिमिटेड	1981-82 से 2007-08	15.07.2011	24.11.2015	49.18
2.	मे0 यू0पी0 टायर ट्यूब लिमिटेड	1989-90 से 1994-95	19.01.2000	31.03.2003	1.48
3.	मे0 रावल पेपर मिल्स लिमिटेड	1984-85 से 1997-98	10.08.1998	24.02.2003	10.77
<b>योग</b>					<b>61.43</b>

स्रोत: व्यापारियों की पत्रावलियों के आधार पर उपलब्ध सूचना

सर्वश्री यू0 पी0 टायर ट्यूब लिमिटेड एवं सर्वश्री रावल पेपर मिल्स लिमिटेड के मामले में शा0स0 द्वारा कम्पनी की परिसम्पत्तियों का निस्तारण कर दिया गया था तथा सुरक्षित लेनदारों एवं कर्मचारियों को भुगतान कर दिया गया था एवं वाणिज्य कर विभाग को कोई धनराशि भुगतान नहीं किया गया था।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि राजस्व बकाया की वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं।

शासन औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड एवं शासकीय समापक जिन्होंने बकायेदार व्यापारियों की परिसम्पत्तियों को सम्बद्ध कर रखा है के साथ नियमित समन्वय के लिए तंत्र विकसित करने के बारे में विचार कर सकता है ताकि उनके साथ दर्ज किये गये दावों की अनदेखी एवं वसूली प्रभावित न हो।

#### 4.4.13 मानव संसाधन प्रबन्धन

संग्रह पर्यवेक्षक, संग्रह अमीन एवं संग्रह सेवक के संवर्गों में 2011-12 से 2015-16 के दौरान 8 से 100 प्रतिशत के मध्य की कमी ने राजस्व के बकाये के संग्रहण को प्रभावित किया।

जनशक्ति की उपलब्धता, किसी विभाग की सुचारु एवं दक्ष कार्य प्रणाली के लिए मूलभूत कारक है। यह तथ्य प्रकाश में आया कि यद्यपि कि आच्छादित अवधि में बकाये में वृद्धि हुई थी, लेकिन जनशक्ति की अत्यन्त कमी थी। स्वीकृत पदों के सापेक्ष बकाये के संग्रह में लगे विभाग के जनशक्ति की स्थिति को सारणी 4.11 में दर्शाया गया है।



सारणी 4.11  
बकाये के संग्रह में लगे जनशक्ति में कमी

पदनाम	स्वीकृत पद	तैनाती की स्थिति					कमी का प्रतिशत (न्यूनतम-अधिकतम)
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	
संग्रह पर्यवेक्षक	95	0	0	0	0	0	100
संग्रह अमीन	380	382	349	287	284	271	08-29
संग्रह सेवक	558	395	389	379	374	290	29-48

स्रोत: कमिश्नर वाणिज्यकर द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े

सारणी से यह देखा जा सकता है कि बकाये की वसूली में सीधे लगे कर्मचारियों के सभी संवर्गों में अत्यन्त कमी थी जिसने राजस्व बकाये के संग्रह पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जैसा की पूर्ववर्ती प्रस्तारों में वर्णित किया गया है।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि संग्रह अमीनों को संग्रह पर्यवेक्षकों के खाली पड़े पदों पर पदोन्नत किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं एवं 95 नये संग्रह अमीनों की नियुक्ति हाल में ही की गयी है।

शासन को राजस्व बकाये की प्रभावी वसूली के लिये स्वीकृत पदों के अनुसार जनशक्ति की तैनाती पर विचार करना चाहिये।

### आन्तरिक नियंत्रण

#### 4.4.14 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा बकाया के मामलों की समीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा आन्तरिक नियंत्रण तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है तथा सामान्यतः किसी संगठन को स्वतः कानूनों, नियमों एवं विभागीय निर्देशों के प्रभावी अनुपालन को आश्वस्त होने योग्य बनाने के लिये सभी नियंत्रणों पर नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है। आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा (आ0ले0प0शा0) क0वा0क0 के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। आ0ले0प0शा0 को खातों, कर निर्धारणों, वसूली एवं प्रेषणों आदि की लेखापरीक्षा किया जाना अपेक्षित है। आ0ले0प0शा0 को उचित प्राधिकारियों के समक्ष दावे दर्ज कराने, बकायेदार व्यापारियों की सम्बद्ध की गयी परिसम्पत्तियों की नीलामी करने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा की गयी वसूली की कार्यवाही की पर्याप्तता की जाँच किये जाने की आवश्यकता है।

हमने चयनित खण्डों के आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की जाँच की एवं पाया कि वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान 30 खण्डों में कोई लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी एवं 23 खण्डों जहाँ लेखापरीक्षा सम्पन्न की गयी थी में यह इंगित किये जाने के लिए कि आ0ले0प0शा0 ने राजस्व के बकाये के प्रकरणों की समीक्षा की, वहाँ अभिलेखों में कुछ भी नहीं था। इस तरह से सर्वोच्च स्तर से बकाये की वसूली की प्रभावकारिता सुनिश्चित नहीं की जा सकी एवं बिना किसी प्रभावकारी अनुश्रवण के बकाया लगातार अनिस्तारित रहा।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि कर्मचारियों एवं प्रशिक्षण की कमी के कारण आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रभावकारी ढंग से सम्पादित नहीं की जा रही थी।

#### 4.4.15 लक्ष्य की प्राप्ति में विफलता

क0वा0क0 ने विशेष अभियान के माध्यम से बकाये की वसूली के लिए लक्ष्यों को निर्धारित किया एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्देश जारी किया। विगत वर्ष के बकाये की वसूली को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष इसकी प्रतिशतता में बढ़ोत्तरी

**31 मार्च 2016 को समाप्त हुये वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)**

करते हुए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। क0वा0क0 द्वारा इसकी निगरानी मासिक विवरण के माध्यम से की जाती है।


हमने चयनित खण्डों के बकाया अभिलेखों की जाँच की एवं पाया कि 51 खण्डों में वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान देय बकाये की वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कमी रही थी इसका विस्तार 2.85 एवं 14.50 प्रतिशत के मध्य था। ₹ 2,995.33 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध केवल ₹ 2,762.18 करोड़ ही वसूल किया जा सका था। केवल दो खण्डों में वसूली का लक्ष्य प्राप्त किया गया था। विवरण **सारणी 4.12** में उल्लिखित हैं।

**सारणी 4.12**  
**लक्ष्य की प्राप्ति में विफलता**

(₹ करोड़ में)				
वर्ष	लक्ष्य	प्राप्ति	कमी	कमी का प्रतिशत
2011-12	286.59	260.70	25.89	9.03
2012-13	426.61	364.75	61.86	14.50
2013-14	583.34	559.70	23.64	4.05
2014-15	707.68	687.54	20.14	2.85
2015-16	991.11	889.49	101.62	10.25
<b>योग</b>	<b>2,995.33</b>	<b>2,762.18</b>	<b>233.15</b>	

स्रोत: वाणिज्यकर विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े

**चार्ट 4.6**



उपरोक्त चार्ट से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लिए निर्धारित लक्ष्य खण्डों द्वारा प्राप्त नहीं किये गये थे।

समापन गोष्ठी के दौरान विभाग/शासन ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि बकाया राजस्व की वसूली के लिए त्वरित एवं सतत् प्रयास किये जाते हैं।

#### 4.4.16 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि:

55 जिलों में बकाये के निपटारे के लिए कोई नीति अथवा रूपरेखा स्थापित नहीं की गयी थी। रा0व0प्र0प0/माँग पत्र जिसमें ₹ 452.30 करोड़ की धनराशि सन्निहित थी, क0नि0प्रा0 द्वारा या तो जारी नहीं किये गये थे अथवा विलम्ब से जारी किये गये थे जिसके फलस्वरूप वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ करने में विलम्ब हुआ। हमने यह भी देखा कि दूसरे जिलों अथवा राज्यों को जारी किये गये रा0व0प्र0प0 जिसमें ₹ 312.60 करोड़ का बकाया सन्निहित था का अनुसरण नहीं किया गया था। औ0वि0पु0बो0 एवं शा0स0 के समक्ष दर्ज कराये गये दावों जिसमें ₹ 68.25 करोड़ का बकाया सन्निहित था कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा तीन वर्ष से नौ वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी अनुसरण नहीं किया गया था। विभाग ने बताया (जून 2016) कि ₹ 27,188.58 करोड़ (मार्च 2016 को) में से ₹ 1,514.74 करोड़ अपलिखित कर दिया जायेगा। बकाये की वसूली में सीधे लगे कर्मचारियों के सभी संवर्गों में भारी कमी थी। इसके फलस्वरूप करों का भारी बकाया बढ़ कर ₹ 27,188.58 करोड़ हो गया। ये पहलू तंत्र में कमजोरी को प्रदर्शित करते हैं जो बकाये की वसूली के लिए मजबूत तंत्र को आवश्यक बनाता है।

#### 4.4.17 संस्तुतियों का सारांश


शासन विचार कर सकता है:

- बकाये की वसूली पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रत्येक जिले में कर वसूली अधिकारी की तैनाती एवं समर्पित वसूली तंत्र स्थापित करने पर।
- समय से रा0व0प्र0प0 जारी करने के लिए प्रणाली स्थापित करने पर।
- बकाया की वसूली की जा सके इसके लिये अन्य जिलों/राज्यों के अपने समकक्ष प्राधिकारियों जिन्हें रा0व0प्र0प0 जारी किये गये हैं, के साथ नियमित समन्वय के लिए तंत्र स्थापित करने पर।
- उनके साथ दर्ज किये गये दावों की अनदेखी एवं वसूली प्रभावित न हो इसके लिये औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड एवं शासकीय समापक जिन्होंने बकायेदार व्यापारियों की परिसम्पत्तियों को सम्बद्ध कर रखा है, के साथ नियमित समन्वय के लिए तंत्र विकसित करने पर।
- राजस्व बकाये की प्रभावी वसूली के लिये स्वीकृत पदों के अनुसार जनशक्ति की तैनाती पर।

#### 4.5 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

हमारी 277 वाणिज्य कर कार्यालयों से सम्बन्धित 60,339 में से 30,368 कर निर्धारण आदेशों की जाँच में अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को न अपनाये जाने, कर के कम/न आरोपण, अर्थदण्ड/ब्याज, अनियमित करमुक्ति, कर की त्रुटिपूर्ण दर लगाये जाने आदि के अनेक मामले प्रकाश में आये जो इस अध्याय में आगे दिये गये प्रस्तरो में उल्लिखित हैं। ये प्रकरण उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे नमूना जाँच पर आधारित हैं। कर निर्धारण प्राधिकारियों (क0नि0प्रा0) के स्तर पर ऐसी त्रुटियाँ प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इंगित की जाती हैं परन्तु ऐसी अनियमितताएँ न केवल बनी रहती हैं अपितु लेखापरीक्षा होने तक ये विभाग द्वारा पकड़ में नहीं आती हैं।

चार्ट 4.7



#### 4.6 कर का कम/न आरोपण

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण करते समय दरों की अनुसूची में उल्लिखित कर की सही दर को लागू नहीं किया, कुछ मामलों में माल के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण कर की न्यूनतर दरें लागू की गयी थीं, समाधान शुल्क का कम आरोपण एवं कुछ मामलों में कोई कर आरोपित नहीं किया गया था, इस प्रकार 50 वाणिज्य कर कार्यालयों से सम्बन्धित 2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिये 5,535 में से 69 व्यापारियों के मामलों में ₹ 14.02 लाख के अर्थदण्ड के साथ ₹ 5.66 करोड़ का कर आरोपित नहीं हुआ था जैसा कि निम्नलिखित प्रस्तारों में उल्लिखित है:

#### 4.6.1 त्रुटिपूर्ण कर की दर के कारण कर का कम/न आरोपण

##### 4.6.1.1 कर की गलत दर लगाया जाना

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 44.33 करोड़ के माल की बिक्री पर अनुसूची में वर्णित दरों के बजाय व्यापारियों द्वारा दाखिल विवरणियों में दर्शाये गये कर को स्वीकार किया। इस प्रकार धनराशि ₹ 2.72 करोड़ का कर कम/नहीं आरोपित हुआ।

उत्तर प्रदेश मूल्य सवर्धित कर (उ०प्र०मू०सं०क०) अधिनियम, 2008 की धारा 4(1) के अन्तर्गत अनुसूची I में शामिल वस्तुएं कर मुक्त हैं, अनुसूची II में शामिल वस्तुएं चार प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं, अनुसूची III में शामिल वस्तुएं एक प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं तथा वे वस्तुएं जो अनुसूची IV में शामिल हैं, शासन द्वारा समय समय पर विज्ञापित दरों के अनुसार कर योग्य हैं। जो वस्तुएं उपरोक्त किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत नहीं हैं वो अनुसूची V से आच्छादित हैं एवं 1 जनवरी 2008 से 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम 2008 की धारा 3-क के अन्तर्गत शासन द्वारा समय समय पर विज्ञापित दरों के अनुसार अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है।

हमने 30 वाणिज्य कर कार्यालयों (वा0क0का0)<sup>15</sup> में (अप्रैल 2015 एवं फरवरी 2016 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 3,280 व्यापारियों में से 35 के मामले में, क0नि0प्रा0 ने जनवरी 2012 एवं मार्च 2015 के मध्य वर्ष 2007-08 (1.1.2008 से 31.3.2008) से 2012-2013 के लिए कर निर्धारण करते समय ₹ 44.33 करोड़ के माल की बिक्री पर अनुसूची में वर्णित दरों के बजाय व्यापारियों द्वारा दाखिल अपनी विवरणियों में दर्शाये गये कर को स्वीकार किया। इस प्रकार धनराशि ₹ 2.72 करोड़ के कर का कम/नहीं आरोपण हुआ था (परिशिष्ट-XXV)।

हमने मामले को शासन एवं विभाग को (मई 2015 एवं अप्रैल 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि तीन मामलों में ₹ 5.09 लाख कर आरोपित कर दिया गया है। शेष मामलों के लिए विभाग ने कहा कि कार्यवाही चल रही है (सितम्बर 2016)।

#### 4.6.1.2 माल का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 5.44 करोड़ के माल की बिक्री पर माल का सही वर्गीकरण करते हुये अनुसूची में वर्णित दर से कर लगाने के बजाय व्यापारियों द्वारा घोषित वर्गीकरण को स्वीकार किया एवं कर की गलत दर लगाया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 63.26 लाख के कर का कम/नहीं आरोपण हुआ।

हमने आठ वा0क0का0<sup>16</sup> में (मई 2015 एवं जनवरी 2016 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 933 व्यापारियों में से 13 के मामलों में क0नि0प्रा0 ने मई 2012 एवं मार्च 2015 के मध्य वर्ष 2008-09 से 2011-12 के लिए कर निर्धारण करते समय ₹ 5.44 करोड़ के माल की बिक्री पर माल का सही वर्गीकरण करते हुये अनुसूची में वर्णित दर से कर लगाने के बजाय व्यापारियों द्वारा घोषित वर्गीकरण को स्वीकार किया एवं कर की गलत दर लगाया। इसके परिणामस्वरूप धनराशि ₹ 63.26 लाख के कर का कम/नहीं आरोपण हुआ (परिशिष्ट-XXVI)।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (जून 2015 से मार्च 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि एक मामले में धनराशि ₹ 51,000 का कर आरोपित कर दिया गया है शेष मामलों के लिए विभाग ने कहा कि कार्यवाही चल रही है (सितम्बर 2016)।

<sup>15</sup> डि0कमि0 खण्ड 16 आगरा, डि0कमि0 खण्ड 4, 8 एवं 12 इलाहाबाद, डि0कमि0 खण्ड 1 बाँदा, डि0कमि0 खण्ड 1 देवरिया, डि0कमि0 खण्ड 6 एवं 11 गाजियाबाद, डि0कमि0 खण्ड 5 जौनपुर, डि0कमि0 खण्ड 5, 12 एवं 24, असि0कमि0 खण्ड 9 कानपुर, डि0कमि0 खण्ड 1, 5 एवं 11 लखनऊ, डि0कमि0 खण्ड 2, वा0क0अ0 खण्ड 8 मेरठ, डि0कमि0 खण्ड सरधना मेरठ, वा0क0अ0 खण्ड 1 एवं 2 डि0कमि0 खण्ड 4 एवं 12 ज्वा0कमि0(का0स0) नोएडा, डि0कमि0 खण्ड 1 रायबरेली, डि0कमि0 खण्ड 1 रामपुर, डि0कमि0 खण्ड 2 सहारनपुर, डि0कमि0 खण्ड 3 शाहजहाँपुर, डि0कमि0 खण्ड 1 चन्दौली, वाराणसी, ज्वा0कमि0(का0स0) जौन-II वाराणसी स्थित राबर्ट्सगंज, सोनभद्र।

<sup>16</sup> डि0कमि0 खण्ड 10 गाजियाबाद, डि0कमि0 खण्ड 5, 8 एवं 14 कानपुर, असि0कमि0 खण्ड 9 कानपुर, डि0कमि0 खण्ड 20 लखनऊ, डि0कमि0 खण्ड 10 मेरठ एवं डि0कमि0 खण्ड 1 नोएडा।

#### 4.6.1.3 टर्नओवर का कर निर्धारण से छूट जाना

व्यापारियों द्वारा ₹ 15.28 करोड़ के टर्नओवर को अपने विवरणियों में घोषित नहीं किया गया था जबकि यह उनके कर निर्धारण पत्रावलियों में उपलब्ध थे। क०नि०प्रा० ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय इस टर्नओवर की उपेक्षा किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 81.57 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत क०नि०प्रा० से अपेक्षित है कि वह व्यापारियों द्वारा अपने व्यापार के सम्बन्ध में रखी जाने वाली पुस्तकों, खातों एवं अभिलेखों तथा अन्य प्रासंगिक अभिलेखों की जाँच के पश्चात् कर निर्धारण सम्पन्न करें।

हमने 13 वा०क०का<sup>17</sup> में (अप्रैल 2015 एवं दिसम्बर 2015 के मध्य) व्यापारिक और लाभ/हानि खाता, वार्षिक बैलेंस शीट, वर्तमान एवं विगत वर्ष के कर निर्धारण आदेशों आदि की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 1,394 व्यापारियों में से 15 मामलों में व्यापारियों द्वारा वर्ष 2009-10 से 2012-13 के लिये क०नि०प्रा० को दाखिल की गयी अपनी विवरणियों में ₹ 15.28 करोड़ के टर्नओवर को घोषित नहीं किया गया था। टर्नओवर के विवरण, व्यापारियों की सम्बन्धित कर निर्धारण पत्रावलियों में उपलब्ध थे। क०नि०प्रा० ने मई 2013 एवं मार्च 2015 के मध्य इन व्यापारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय पुस्तकों, खातों एवं प्रपत्रों तथा अन्य प्रासंगिक अभिलेखों की सम्यक् रूप से जाँच नहीं की, जिसके फलस्वरूप उनके ₹ 15.28 करोड़ के टर्नओवर की उपेक्षा हुई एवं इसके परिणामस्वरूप ₹ 81.57 लाख के कर का कम आरोपण हुआ (परिशिष्ट-XXVII)।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (मई 2015 एवं जनवरी 2016 के बीच) प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि दो मामलों में धनराशि ₹ 1.17 लाख का कर आरोपित कर दिया गया है जिसमें से ₹ 17,000 की वसूली की जा चुकी है। शेष मामलों के लिये विभाग ने बताया कि कार्यवाही चल रही है (सितम्बर 2016)।

#### 4.6.1.4 उ०प्र०मू०सं०क० के अन्तर्गत समाधान राशि का कम आरोपण

क०नि०प्रा० ने ₹ 14.99 करोड़ के भुगतान पर छः प्रतिशत के स्थान पर दो प्रतिशत की दर से समाधान राशि स्वीकार किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 56.11 लाख की समाधान राशि का कम आरोपण हुआ।

उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के अन्तर्गत, कोई व्यापारी उसके द्वारा देय कर के भुगतान के स्थान पर समाधान राशि भुगतान करने का विकल्प ले सकता है। विज्ञप्ति सं० 1278 दिनांक 9 जून 2009 द्वारा सिविल एवं विद्युत संविदाकारों हेतु शासन द्वारा लायी गयी समाधान योजना के अनुसार, यदि कोई संविदाकार वित्तीय वर्ष के दौरान निष्पादित कार्य के मूल्य की धनराशि के पाँच प्रतिशत तक आयातित वस्तुओं का अन्तरण करता है तो समाधान राशि 30.12.2010 तक दो प्रतिशत की दर से एवं 31.12.2010 से चार प्रतिशत की दर से आगणित होगी। यदि कोई संविदाकार

<sup>17</sup> डि०कमि० खण्ड 13 आगरा, ज्वा०कमि०(का०स०), डि०कमि० खण्ड 4 एवं 12, असि०कमि० खण्ड 5 इलाहाबाद, ज्वा०कमि०(का०स०) बरेली, ज्वा०कमि०(का०स०)-II गाजियाबाद, डि०कमि० खण्ड 2 गोरखपुर, डि०कमि० खण्ड 8 कानपुर, डि०कमि० खण्ड 4 एवं 10 लखनऊ, डि०कमि० खण्ड 2 मेरठ, एवं वा०क०अ० खण्ड 1 नोएडा।

पाँच प्रतिशत से अधिक आयातित वस्तुओं का अन्तरण करता है तो समाधान राशि की गणना छः प्रतिशत की दर से की जायेगी।

हमने दो खण्डों में कर निर्धारण आदेशों, आयातित माल के उपभोग विवरण एवं पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 276 व्यापारियों में से दो सिविल संविदाकारों ने वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2012-13 के दौरान ₹ 1.85 करोड़ मूल्य का आयातित माल संकर्म संविदा के निष्पादन में प्रयोग किया जो कि संविदागत धनराशि ₹ 14.99 करोड़ के पाँच प्रतिशत से अधिक था। चूँकि संकर्म संविदा के निष्पादन में प्रयुक्त आयातित माल वित्तीय वर्ष में संविदागत मूल्य के पाँच प्रतिशत से अधिक था, अतः छः प्रतिशत की दर से ₹ 89.95 लाख समाधान राशि आरोपणीय थी। तथापि, क०नि०प्रा० ने मार्च 2013 एवं जुलाई 2014 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय ₹ 33.84 लाख (₹ 13.07 करोड़ पर दो प्रतिशत की दर से और ₹ 1.93 करोड़ पर चार प्रतिशत की दर से) की समाधान राशि का आरोपण किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 56.11 लाख की कम समाधान राशि का आरोपण हुआ जैसा कि विवरण सारणी 4.13 में दिया गया है।

**सारणी 4.13**

**उ०प्र०मू०सं०क० के अन्तर्गत समाधान राशि का कम आरोपण**

(₹ लाख में)										
क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	वित्तीय वर्ष के लिये करयोग्य संविदागत मूल्य	प्रयुक्त आयातित माल/ वित्तीय वर्ष के लिये करयोग्य संविदागत मूल्य का प्रतिशत	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	आरोपणीय कर की धनराशि	आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	आरोपित कर की धनराशि	कम आरोपित कर
1	डि०कमि० खण्ड 2 गौतम बुद्ध नगर	1	2012-13 (जून 2014)	192.58	87.85 / 45.62	6	11.55	4	7.7	3.85
2	डि०कमि० खण्ड 3 गौतम बुद्ध नगर	1	2009-10 (मार्च 2013)	774.29	70.03 / 9.04	6	46.46	2	15.49	30.97
			2010-11 (जुलाई 2014)	532.37	26.80 / 5.03	6	31.94	2	10.65	21.29
<b>योग</b>		<b>2</b>		<b>1,499.24</b>	<b>184.68</b>		<b>89.95</b>		<b>33.84</b>	<b>56.11</b>

स्रोत: कर निर्धारण पत्रावलियों के आधार पर उपलब्ध सूचना

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (मई 2015) प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि सभी मामलों में कार्यवाही चल रही है (सितम्बर 2016)।

**4.6.1.5 गणना की त्रुटि के कारण कर का कम आरोपण**

क०नि०प्रा० ने ₹ 43.63 करोड़ के कर योग्य टर्नओवर पर कर की गणना करने में त्रुटि की जिसके परिणामस्वरूप धनराशि ₹ 74.89 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम, 2008 की धारा 28 एवं उ०प्र० स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा 9(4) के अन्तर्गत क०नि०प्रा० का यह कर्तव्य है कि व्यापारियों द्वारा दाखिल विवरणियों/अभिलेखों की जाँच करते समय तथा कर निर्धारण आदेशों को पारित करते समय देखें कि सभी करों को सही आरोपित किया गया है एवं सभी गणना सही की गयी हैं।

हमने चार वा०क०का० में (जून 2015 एवं नवम्बर 2015 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 365 व्यापारियों में से

**31 मार्च 2016 को समाप्त हुये वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)**

पाँच के मामलों में कर निर्धारण प्राधिकारियों (क0नि0प्रा0) ने जून 2014 एवं मार्च 2015 के मध्य वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए कर निर्धारण आदेश पारित करते समय ₹ 43.63 करोड़ के कर योग्य टर्नओवर पर कर की गणना करने में त्रुटि की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 74.89 लाख के कर का कम आरोपण हुआ। विवरण सारणी 4.14 में उल्लिखित हैं।

**सारणी 4.14**  
**गणना की त्रुटि के कारण कर का कम आरोपण**

(₹ लाख में)								
क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय/आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	आरोपणीय कर	आरोपित कर	कम आरोपित कर
1	डि०कमि० खण्ड 3 बुलन्द शहर	1	2011-12 (मार्च 2015)	2,433.38	13.5 एवं 14.5	351.88	341.88	10.00
2	ज्वा०कमि० (का०स०) झाँसी	1	2008-09 (दिसम्बर 2014)	166.86	2	3.34	2.34	1.00
3	डि०कमि० खण्ड 10 लखनऊ	1	2011-12 (जून 2014)	148.67	13.5	20.07	7.43	12.64
			2012-13 (नवम्बर 2014)	517.85	4, 5, 13.5, 14 एवं 15.5	53.59	41.01	12.58
4	डि०कमि० खण्ड 6 नोएडा	1	2011-12 (फरवरी 2015)	1,096.30	4, 5, 13.5 एवं 15.5	82.52	43.85	38.67
<b>योग</b>		<b>5</b>		<b>4,363.06</b>		<b>511.40</b>	<b>436.51</b>	<b>74.89</b>

स्रोत: कर निर्धारण पत्रावलियों के आधार पर उपलब्ध सूचना

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (जुलाई 2015 एवं जनवरी 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि तीन मामलों में धनराशि ₹ 35.22 लाख का कर आरोपित कर दिया गया है जिसमें से ₹ 22.58 लाख की वसूली की जा चुकी है। शेष मामलों के लिये विभाग ने बताया कि कार्यवाही चल रही है (सितम्बर 2016)।

**4.6.2 कर मुक्त वस्तुओं के निर्माण के लिये रियायती दर पर फर्नेस आयल की खरीद के लिए अनियमित रूप से अधिकृत किया जाना**

क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण करते समय फार्म 'डी' के विरुद्ध ₹ 28.04 लाख के फर्नेस आयल के क्रय पर ₹ 4.49 लाख की छूट अनुमन्य किया जो कि अनुमन्य नहीं थी क्योंकि यह ₹ 30.65 करोड़ मूल्य के कर मुक्त माल के निर्माण में प्रयुक्त हुआ था जिसके फलस्वरूप ₹ 4.49 लाख के कर का कम आरोपण हुआ एवं फर्नेस आयल के मूल्य के 50 प्रतिशत की दर से धनराशि ₹ 14.02 लाख का अर्थदण्ड भी आरोपित नहीं हुआ।

उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम, 2008 की धारा 4(1)(ग) के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी अनुसूची IV की प्रविष्टि सं० 7(ख) के अनुसार फर्नेस आयल पर 30 सितम्बर 2008 से 21 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है एवं अनुसूची IV की प्रविष्टि सं० 7(क) के अनुसार नान-वैट माल के अतिरिक्त किसी कर योग्य माल के निर्माता शासन की विज्ञप्ति सं०-2758 दिनांक 29 सितम्बर 2008 द्वारा 30 सितम्बर 2008 से फार्म डी के विरुद्ध रियायती दर पाँच प्रतिशत की दर से फर्नेस आयल खरीदने के लिए हकदार हैं।

अग्रेतर, उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम की धारा 54(1)(11)(i) के प्रावधानों के अनुसार यदि क०नि०प्रा० इस बात से संतुष्ट है कि कोई व्यापारी इस अधिनियम के अधीन विहित



मिथ्या या गलत प्रमाण-पत्र या घोषणा पत्र जारी करता हो या प्रदान करता हो, जिसके कारण से विक्रय या क्रय पर कर उद्ग्रहणीय नहीं रह जाता है, तो वह ऐसे व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि वस्तु के मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर की धनराशि अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करे।

हमने डि०कमि० खण्ड 4 इलाहाबाद कार्यालय में कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच (जुलाई 2015) की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 65 में से एक व्यापारी ने फर्नेस आयल की फार्म 'डी' के विरुद्ध खरीद पर ₹ 4.49 लाख की कर की रियायत का दावा किया था। व्यापारी अन्य करयोग्य वस्तुओं सहित कर मुक्त वस्तुओं जैसे दूध, दही और मट्ठा का निर्माता था। कर मुक्त वस्तुओं की बिक्री ₹ 30.65 करोड़ (कुल बिक्री ₹ 32.81 करोड़ का 93.43 प्रतिशत) थी। व्यापारी ने रियायती दर पर ₹ 30.01 लाख मूल्य के फर्नेस आयल की खरीद किया था। वह ₹ 28.04 लाख के फर्नेस आयल की खरीद (कुल खरीद मूल्य ₹ 30.01 लाख का 93.43 प्रतिशत) पर रियायती दर का हकदार नहीं था। क०नि०प्रा० ने जनवरी 2015 के दौरान कर निर्धारण करते समय कर मुक्त माल के निर्माण पर अनियमित रियायत अनुमन्य किया जिसके फलस्वरूप ₹ 4.49 लाख के कर का कम आरोपण हुआ। अग्रेतर, वस्तु के मूल्य का 50 प्रतिशत ₹ 14.02 लाख के अर्थदण्ड का आरोपण भी नहीं किया गया था।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2015)। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि कार्यवाही चल रही है (सितम्बर 2016)।

#### 4.7 अर्थदण्ड का अनारोपण

दण्डात्मक प्रावधान व्यापारियों के दुराशयपूर्ण क्रिया-कलापों को हतोत्साहित करने के लिए बनाये गये हैं। क०नि०प्रा० ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय व्यापारियों द्वारा किये गये अपराधों जैसे लेखों से बाहर संव्यवहार, कर का विलम्ब से जमा किया जाना, उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम एवं उसके अधीन निर्मित नियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल संव्यवहार आदि की उपेक्षा किया। यद्यपि अधिनियम में अर्थदण्ड के आरोपण के लिये स्पष्ट प्रावधान हैं, फिर भी सम्बन्धित क०नि०प्रा० ने 2007-08 (वैट) से 2013-14 तक की अवधि के लिये 50 वा०क०का० से सम्बन्धित 5,639 व्यापारियों में से 74 के प्रकरणों में धनराशि ₹ 6.23 करोड़ के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जैसा कि निम्नलिखित प्रस्तारों में उल्लिखित है:

##### 4.7.1 टर्नओवर का छिपाया जाना

**कर निर्धारण प्राधिकारियों ने छिपाये गये ₹ 5.24 करोड़ के टर्नओवर पर ₹ 1.02 करोड़ अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।**

उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम की धारा 54(1)(2) के अन्तर्गत जहाँ पर व्यापारी ने अपने टर्नओवर का विवरण छिपाया हो या जानबूझ कर ऐसे टर्नओवर का गलत विवरण प्रस्तुत किया हो या इस अधिनियम के अधीन मिथ्या कर विवरणी प्रस्तुत किया हो या कर संदाय का अपवंचन किया हो जिसका वह इस अधिनियम के अधीन भुगतान करने का दायी है, तो क०नि०प्रा० ऐसे व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि वह कर, यदि उसके द्वारा देय हो, के साथ-साथ छिपायी गयी या परिवर्जित की गयी कर की धनराशि का तीन गुना अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करे।

हमने 19 वा0क0का0<sup>18</sup> में (अप्रैल 2014 एवं फरवरी 2016 के मध्य) व्यापारियों के अंतिम कर निर्धारण आदेश, व्यापारियों द्वारा जमा किया गया स्वीकृत कर एवं वाणिज्य कर अपीलीय प्राधिकारियों के आदेशों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 2,491 व्यापारियों में से 23 ने वर्ष 2008-09 से 2013-14 की अवधि में अपने ₹ 5.24 करोड़ के क्रय एवं विक्रय के टर्नओवर को छिपाया था। चूँकि व्यापारियों ने अपने टर्नओवर को छिपाया था अतः वे छिपाये गये कर की धनराशि के तीन गुने के बराबर अर्थदण्ड के दायी थे। क0नि0प्रा0 में अक्टूबर 2011 एवं मार्च 2015 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय इस छिपाये गये टर्नओवर पर ₹ 33.90 लाख का कर आरोपित किया। यद्यपि नौ<sup>19</sup> मामलों में अपीलीय प्राधिकारियों ने (जून 2013 एवं अक्टूबर 2015 के मध्य) यह पुष्टि कर दी थी कि व्यापारियों ने अपने टर्नओवर को छिपाया/देय कर के भुगतान का अपवंचन किया था अथवा व्यापारियों ने स्वयं ही इसे स्वीकार कर लिया था एवं छिपाये गये टर्नओवर पर देय कर जमा कर दिया था, सम्बन्धित क0नि0प्रा0 ने न तो ₹ 1.02 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित किया और न ही अर्थदण्ड आरोपित न किये जाने का कोई कारण ही अंकित किया।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (मई 2014 एवं मार्च 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि 12 मामलों में ₹ 56.97 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है। शेष मामलों के लिये विभाग ने बताया कि कार्यवाही चल रही है (सितम्बर 2016)।

#### **4.7.2.1 कर का विलम्ब से जमा होना**

**कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय ₹ 7.24 करोड़ के स्वीकार किये गये कर को विलम्ब से जमा किये जाने पर ₹ 1.45 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।**

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 54 (1)(1) के अन्तर्गत यदि क0नि0प्रा0 इस बात से संतुष्ट है कि कोई व्यापारी या अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी युक्तियुक्त कारण के निश्चित अवधि अथवा बढ़ाई गई अवधि में देय कर जमा करने में असफल रहा है तो वह व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि उसके द्वारा देय कर, यदि कोई हो, के साथ-साथ ऐसे देय कर के 20 प्रतिशत के बराबर अर्थदण्ड के रूप में अदा करे।

हमने 21 वा0क0का0<sup>20</sup> में (अगस्त 2014 एवं मार्च 2016 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 1,572 व्यापारियों में से 30 ने वर्ष 2007-08 (वैट) से 2012-13 की अवधि के लिए अपने स्वीकार किये गये

<sup>18</sup> असि0कमि0 खण्ड 3, डि0कमि0 खण्ड 18 आगरा, डि0कमि0 खण्ड 3 इलाहाबाद, डि0कमि0 खण्ड 2 अम्बेडकर नगर, डि0कमि0 खण्ड 5 फैजाबाद, ज्वा0कमि0 (का0स0) फिरोजाबाद, डि0कमि0 खण्ड 9 एवं 15, असि0कमि0 17 गाजियाबाद, डि0कमि0 खण्ड 23 एवं 27 कानपुर, डि0कमि0 खण्ड 4, 6 एवं 10 लखनऊ, डि0कमि0 खण्ड 6 मेरठ, डि0कमि0 खण्ड 8 मुरादाबाद, ज्वा0कमि0 (का0स0), डि0कमि0 खण्ड 12 नोएडा एवं डि0कमि0 खण्ड 5 सहारनपुर।

<sup>19</sup> असि0कमि0 खण्ड 3 आगरा (2 मामले), डि0कमि0 खण्ड 5 फैजाबाद, ज्वा0कमि0 (का0स0) फिरोजाबाद, डि0कमि0 खण्ड 15 गाजियाबाद, डि0कमि0 खण्ड 23 कानपुर, डि0कमि0 खण्ड 4 लखनऊ, डि0कमि0 खण्ड 6 लखनऊ एवं डि0कमि0 खण्ड 8 मुरादाबाद।

<sup>20</sup> असि0कमि0 खण्ड 15 आगरा, ज्वा0कमि0(का0स0) इलाहाबाद, डि0कमि0 खण्ड भरथना, डि0कमि0 खण्ड 1 गाजीपुर, ज्वा0कमि0(का0स0)-II, डि0कमि0 खण्ड 3, 6 एवं 13 गाजियाबाद, डि0कमि0 खण्ड 4 हरदोई, डि0कमि0 खण्ड 5 जौनपुर, ज्वा0कमि0(का0स0) झाँसी, ज्वा0कमि0(का0स0)-I कानपुर, डि0कमि0 खण्ड 4 लखनऊ, डि0कमि0 खण्ड कोसीकलां मथुरा, डि0कमि0 खण्ड 2 मथुरा, ज्वा0कमि0(का0स0) मुरादाबाद, डि0कमि0 खण्ड 1, 5 एवं 6 नोएडा, डि0कमि0 खण्ड 5 सहारनपुर एवं ज्वा0कमि0(का0स0)-II वाराणसी (स्थित सोनभद्र)

कर ₹ 7.24 करोड़ को समय से जमा नहीं किया था। विलम्ब की अवधि पाँच दिनों से लेकर 1,388 दिनों की थी। चूँकि कर विलम्ब से जमा किया गया था जिसके लिये वे आरोपित कर के साथ-साथ देय कर के 20 प्रतिशत धनराशि के बराबर अर्थदण्ड के भुगतान के भी दायी थे, जबकि क0नि0प्रा0 ने जनवरी 2012 एवं मार्च 2015 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय न तो ₹ 1.45 करोड़ अर्थदण्ड आरोपित किया और न ही अर्थदण्ड आरोपित न किये जाने का कोई कारण ही अंकित किया (परिशिष्ट-XXVIII)।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (सितम्बर 2014 एवं मार्च 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि 13 मामलों में ₹ 27.99 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है। शेष मामलों के लिये विभाग ने बताया कि कार्यवाही चल रही है (सितम्बर 2016)।

#### 4.7.2.2 संकर्म संविदा कर का विलम्ब से जमा होना

क0नि0प्रा0 ने व्यापारियों पर संविदाकारो को भुगतान करते समय स्रोत पर काटे गये कर ₹ 1.49 करोड़ को विहित समय के अन्दर जमा न करने पर ₹ 2.98 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया था।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 की धारा 34(8) सपठित 34(1) के अन्तर्गत, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो किसी संविदाकार को संकर्म संविदा के अनुपालन में किसी माल के स्वामित्व के अन्तरण के लिए देय मूल्यवान प्रतिफल के विरुद्ध किसी दायित्व के निर्वहन में भुगतान के लिए उत्तरदायी हो ऐसी संकर्म संविदा के लिए अधिनियम के अन्तर्गत देय धनराशि में से चार प्रतिशत के बराबर धनराशि की कटौती करेगा। कटौती करने में असफल रहने या कटौती के उपरान्त इस प्रकार काटी गयी राशि को कटौती किये जाने वाले माह के अगले माह के 20वें दिन की समाप्ति के पूर्व कोषागार में जमा करने में असफल रहने की दशा में क0नि0प्रा0 ऐसे व्यक्ति को अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार काटी गयी धनराशि के दो गुने से अनधिक राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

हमने 11 वा0क0का0<sup>21</sup> में (मई 2014 एवं जनवरी 2016 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 1,540 व्यापारियों में से 14 ने वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान संविदाकारों को भुगतान करते समय स्रोत पर ₹ 1.45 करोड़ कर की कटौती की परन्तु इसे निर्धारित समय के अन्दर राजकोष में जमा नहीं किया था। विलम्ब की अवधि तीन दिनों से लेकर 387 दिनों की थी। एक मामले में कर ₹ 4.05 लाख की कटौती नहीं की गयी थी। का0नि0प्रा0 ने जनवरी 2013 एवं मार्च 2015 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय न तो ₹ 2.98 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित किया और न ही अर्थदण्ड न आरोपित किये जाने का कोई कारण ही अंकित किया।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (जून 2014 और मार्च 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि छः मामलों में ₹ 48.52 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है जिसमें से ₹ 91,000 की वसूली की जा चुकी है। शेष मामलों के लिये विभाग ने बताया कि कार्यवाही चल रही है (सितम्बर 2016)।

<sup>21</sup> डि0कमि0 खण्ड 3, असि0कमि0 खण्ड 2 एवं 3 इलाहाबाद, असि0कमि0 खण्ड 1 बाँदा, असि0कमि0 खण्ड 4 बुलन्द शहर, डि0कमि0 खण्ड 27 कानपुर, असि0कमि0 खण्ड 4 एवं 11 डि0कमि0 खण्ड 20 लखनऊ, डि0कमि0 खण्ड 10 मेरठ एवं डि0कमि0 खण्ड 12 नोएडा।

### 4.7.3 मिथ्या खरीद

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय वस्तुओं की वास्तविक खरीद किये बिना ₹ 1.57 करोड़ के कर बीजक प्राप्त करने पर आईटीसी उत्क्रमित कर दी परन्तु ₹ 78.37 लाख का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 54 (1)(11)(iv) के अन्तर्गत यदि कनिष्ठा इस बात से संतुष्ट है कि कोई व्यापारी या अन्य व्यक्ति जैसा भी मामला हो, माल का वास्तविक क्रय किये बिना कर बीजक या बिक्री बीजक प्राप्त करता है, तो वह निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यापारी या व्यक्ति, वस्तु के मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर की धनराशि अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करे।

हमने पाँच वार्षिकों में (सितम्बर 2014 एवं फरवरी 2016 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 757 व्यापारियों में से छः ने वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान धनराशि ₹ 1.57 करोड़ का कर बीजक बिना वास्तविक खरीद किये प्राप्त किया एवं आईटीसी का दावा किया था। चूँकि व्यापारियों ने बिना वास्तविक खरीद किये आईटीसी का दावा किया था जिसके लिए वे वस्तु के मूल्य के 50 प्रतिशत धनराशि के बराबर अर्थदण्ड के भुगतान के दायी थे। तथापि, कनिष्ठा ने अप्रैल 2012 एवं मार्च 2015 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय आईटीसी उत्क्रमित कर दिया परन्तु ₹ 78.37 लाख अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जैसा कि सारणी 4.15 में दर्शाया गया है।

#### सारणी 4.15 मिथ्या खरीद

(₹ लाख में)					
क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	बिना वास्तविक खरीद के प्राप्त विक्रय/कर बीजक से आच्छादित धनराशि	आरोपणीय अर्थदण्ड
1	डि०कमि० खण्ड 18 आगरा	1	2012-13 (जून 2014)	96.83	48.41
2	डि०कमि० खण्ड 1 बाराबंकी	1	2011-12 (मार्च 2015)	29.98	14.99
3	डि०कमि० खण्ड 16 गाजियाबाद	1	2009-10 (अप्रैल 2013)	12.39	6.20
4	असि०कमि० खण्ड 6 नोएडा	1	2008-09 (अप्रैल 2012)	3.01	1.51
		1	2008-09 (जून 2012)	2.35	1.18
5	डि०कमि० खण्ड 4 सहारनपुर	1	2008-09 (मार्च 2012)	12.15	6.08
<b>योग</b>		<b>6</b>		<b>156.71</b>	<b>78.37</b>

स्रोत: कर निर्धारण पत्रावलियों के आधार पर उपलब्ध सूचना

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (सितम्बर 2014 एवं मार्च 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि सभी मामलों में कार्यवाही चल रही है (सितम्बर 2016)।

### 4.8 प्रवेश कर

कनिष्ठा ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय दरों की अनुसूची में दी गयी प्रवेश कर की सही दर को लागू नहीं किया, कुछ मामलों में कोई प्रवेश कर

आरोपित नहीं किया गया था एवं कुछ अन्य मामलों में अनियमित छूट अनुमन्य की गयी थी इस प्रकार 14 वा0क0का0 से सम्बन्धित 1,465 व्यापारियों में से 23 के मामलों में 2009-10 से 2012-13 तक की अवधि में ₹ 1.68 करोड़ का प्रवेश कर आरोपित नहीं किया गया था जैसा कि निम्नलिखित प्रस्तरो में दर्शाया गया है:

#### 4.8.1 प्रवेश कर का कम/न आरोपण

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय ₹ 33.90 करोड़ मूल्य के माल की स्थानीय क्षेत्र के बाहर से खरीद पर ₹ 1.34 करोड़ के बजाय धनराशि ₹ 5.82 लाख का प्रवेश कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.29 करोड़ के प्रवेश कर का कम/न आरोपण हुआ।

उ0प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा 4 के अन्तर्गत शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों की अनुसूची के अनुसार माल के मूल्य पर प्रवेश कर आरोपणीय है। विज्ञप्ति सं0-422 दिनांक 31 मार्च 2011 के अनुसार आयरन एवं स्टील पर दिनांक 1 अप्रैल 2011 से पाँच प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय था तथा उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अन्तर्गत किसी व्यापारी द्वारा क्रय या विक्रय पर देय कर की धनराशि की सीमा तक छूट अनुमन्य थी।

हमने 13 वा0क0का0<sup>22</sup> में (अप्रैल 2015 एवं फरवरी 2016 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 1,418 व्यापारियों में से 22 ने 2009-10 से 2012-13 की अवधि के दौरान स्थानीय क्षेत्र के बाहर से ₹ 33.90 करोड़ मूल्य का माल क्रय किया था, जिस पर ₹ 1.34 करोड़ प्रवेश कर आरोपणीय था। क0नि0प्रा0 ने नवम्बर 2011 एवं मार्च 2015 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय केवल पाँच व्यापारियों के प्रकरणों में धनराशि ₹ 5.82 लाख का प्रवेश कर आरोपित किया। इस प्रकार ₹ 1.29 करोड़ के प्रवेश कर का न/कम आरोपण हुआ (परिशिष्ट-XXIX)।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (मई 2015 एवं अप्रैल 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि सभी मामलों के लिये विभाग ने बताया कि कार्यवाही चल रही है (सितम्बर 2016)।

#### 4.8.2 प्रवेश कर में अनियमित छूट

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 271.53 करोड़ मूल्य के माल की स्थानीय क्षेत्र के बाहर से खरीद पर ₹ 39.38 लाख की अननुमन्य छूट मान्य की।

उ0प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा 4 के अन्तर्गत शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों की अनुसूची के अनुसार माल के मूल्य पर प्रवेश कर आरोपणीय है। विज्ञप्ति सं0-422 दिनांक 31 मार्च 2011 के अनुसार आयरन एवं स्टील पर दिनांक 1 अप्रैल 2011 से पाँच प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय था तथा उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अन्तर्गत किसी व्यापारी द्वारा क्रय या विक्रय पर देय कर की धनराशि की सीमा तक छूट अनुमन्य थी।

<sup>22</sup> डि0कमि0 खण्ड 1 गाजीपुर, डि0कमि0 खण्ड 2 एवं 3 गौतम बुद्ध नगर, डि0कमि0 खण्ड 6 गाजियाबाद, डि0कमि0 खण्ड 2 एवं 8 कानपुर, ज्वा0कमि0(का0स0)-II, डि0कमि0 खण्ड 11 लखनऊ, ज्वा0कमि0(का0स0) मेरठ, ज्वा0कमि0(का0स0), डि0कमि0 खण्ड 10 एवं 14 नोएडा एवं डि0कमि0 खण्ड 2 सहारनपुर।

हमने ज्वा0कमि0 (का0स0)–II वा0क0 गाजियाबाद के कार्यालय में कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की (नवम्बर 2015) एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 47 व्यापारियों में से एक व्यापारी ने 2011–12 की अवधि के दौरान ₹ 271.53 करोड़ की प्रवेश कर आरोपणीय वस्तुओं के बजाय ₹ 9.85 करोड़ की हानि दिखाते हुये ₹ 261.69 करोड़ मूल्य की शुद्ध प्रवेश कर आरोपणीय वस्तुयें घोषित किया था। प्रवेश कर निर्धारण में व्यापारी को ₹ 39.38 लाख (₹ 9.85 करोड़ के चार प्रतिशत) छूट अनुमन्य किया गया। क0नि0प्रा0 ने मई 2014 में कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया जिसके परिणामस्वरूप प्रवेश कर की ₹ 39.38 लाख की अतिरिक्त छूट प्रदान की गयी।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (दिसम्बर 2015)। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि कार्यवाही चल रही है (सितम्बर 2016)।

#### **4.9 केन्द्रीय बिक्री कर (के0बि0क0)**

##### **4.9.1 घोषणा पत्रों के विरुद्ध अनियमित रियायत**

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय फार्म 'सी' के विरुद्ध ₹ 1.71 करोड़ मूल्य के माल की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर धनराशि ₹ 17.21 लाख की रियायत अनियमित रूप से अनुमन्य किया।

केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकरण एवं आवर्त) नियमावली, 1957 के नियम 12(1) के अन्तर्गत एक फार्म 'सी' पर की गयी घोषणा में बिक्री सम्बन्धी वे सभी संव्यवहार आच्छादित होंगे जो वित्तीय वर्ष के एक त्रैमास के दौरान उन्हीं दो व्यापारियों के बीच होते हैं।

हमने ज्वा0कमि0 (का0स0) बरेली के कार्यालय में कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की (जुलाई 2015) एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 49 व्यापारियों में से एक ने वर्ष 2011–12 के दौरान चार फार्म 'सी' के विरुद्ध रियायती दर पर ₹ 1.71 करोड़ के माल की अन्तर्राज्यीय बिक्री की। इनमें एक वित्तीय वर्ष के एक से अधिक त्रैमास के संव्यवहार आच्छादित थे और नियम के प्रावधानों के अनुसार एक ही फार्म 'सी' से आच्छादित एक वित्तीय वर्ष के एक से अधिक त्रैमास के संव्यवहार पर रियायती दर का किया गया दावा रियायत के योग्य नहीं था। अप्रैल 2015 के दौरान कर निर्धारण आदेश को अन्तिम रूप प्रदान करते समय क0नि0प्रा0 ने नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये ₹ 56.46 लाख के एक त्रैमास से अधिक के संव्यवहारों पर भी रियायती दर से के0बि0क0 आरोपित किया। इस प्रकार ₹ 17.21 लाख की अनियमित रियायत अनुमन्य की गयी।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को अगस्त 2015 में प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि कार्यवाही चल रही है (सितम्बर 2016)।

#### 4.9.2 रियायती दर पर पूँजीगत वस्तुओं की अनियमित खरीद

क०नि०प्रा० ने संविदाकारों को क०प०प्र०प० में पूँजीगत माल के क्रय के लिये अनियमित रूप से अधिकृत किया, जिसके परिणामस्वरूप संव्यवहारी को अदेय लाभ मिला और ₹ 59.75 लाख का अर्थदण्ड भी आरोपित नहीं हुआ।

क०बि०क० अधिनियम, 1956 की धारा 8(3)(ख) के अनुसार एक पंजीकृत व्यापारी प्रान्त बाहर से फार्म 'सी' के विरुद्ध रियायती दर से पुनः विक्रय के लिये, निर्माण में उपयोग के लिये या विक्रय के लिये वस्तुओं के प्रसंस्करण या दूरसंचार नेटवर्क में या खनन में या बिजली के उत्पादन या वितरण के उद्देश्य से कोई माल खरीद सकता है। यदि ऐसा माल क०बि०क० अधिनियम के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं है अथवा प्रान्त बाहर से कर की रियायती दर पर खरीदे गये माल का प्रयोग, उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु किया जाता है, जिस हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया है तो व्यापारी क०बि०क० अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत अभियोजन का पात्र होगा। फिर भी, यदि कर निर्धारण प्राधिकारी उचित समझे, तो अभियोजन के स्थान पर क०बि०क० अधिनियम की धारा 10 ए के अन्तर्गत ऐसे माल की बिक्री पर देय कर के डेढ़ गुने तक का अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है।

उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम की धारा 59 के अन्तर्गत कमिश्नर वाणिज्य कर के दिनांक 12 मार्च 2008 के निर्णय के अनुसार संविदाकारों को व्यापारी की श्रेणी में माना गया न कि निर्माता की श्रेणी में, इसीलिये उनको फार्म 'सी' के विरुद्ध पूँजीगत माल की खरीद का लाभ नहीं दिया जायेगा क्योंकि ऐसा खरीदा गया पूँजीगत माल न तो उसने पुनः विक्रय किया और न ही विक्रयार्थ माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में प्रयोग किया है।

हमने डि०कमि० खण्ड 3 गौतम बुद्ध नगर के कार्यालय में कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की (अप्रैल 2015) एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 158 व्यापारियों में से एक संविदाकार ने 2008-09 से 2011-12 की अवधि के दौरान फार्म 'सी' के विरुद्ध रियायती दर की दर पर ₹ 2.96 करोड़ मूल्य के पूँजीगत माल की खरीद की और रियायती दर पर क०बि०क० (केन्द्रीय बिक्री कर) का भुगतान किया। अग्रेतर हमने पाया कि जैसा कि क०बि०क० अधिनियम की धारा 8(3)(ख) में विहित है, संविदाकारों ने न तो इन वस्तुओं की बिक्री की न ही विक्रयार्थ माल के विनिर्माण आदि में प्रयोग किया। क०नि०प्रा० ने अक्टूबर 2014 में कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय व्यापारी द्वारा फार्म 'सी' के इस अनियमित उपयोग को संज्ञान में नहीं लिया और ₹ 59.75 लाख के अर्थदण्ड के आरोपण में असफल रहे।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2015)। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि ₹ 59.75 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है (सितम्बर 2016)।

#### 4.9.3 घोषणा पत्रों का दुरुपयोग

व्यापारियों ने फार्म 'सी' में घोषणा के विरुद्ध ₹ 1.59 करोड़ मूल्य का माल जो कि उनके पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं था कर की रियायती दर पर क्रय किया। कर निर्धारण के समय इस तथ्य की जाँच नहीं की गयी। इस प्रकार ₹ 26.82 लाख का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

केन्द्रीय बिक्री कर (क०बि०क०) अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अन्तर्गत एक पंजीकृत व्यापारी फार्म 'सी' में घोषणा के आधार पर प्रान्त बाहर से कर की रियायती दर पर कोई माल खरीद सकता है। यदि ऐसा माल क०बि०क० अधिनियम के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र (प०प्र०प०) से आच्छादित नहीं है अथवा प्रान्त बाहर से कर की

**31 मार्च 2016 को समाप्त हुये वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)**

रियायती दर पर खरीदे गये माल का प्रयोग, उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु करता है, जिस हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया है तो व्यापारी के 0बि0क0 अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत अभियोजन का पात्र होगा। फिर भी, यदि कर निर्धारण प्राधिकारी उचित समझे तो अभियोजन के स्थान पर के 0बि0क0 अधिनियम की धारा 10 ए के अन्तर्गत ऐसे माल की बिक्री पर देय कर के डेढ़ गुने तक का अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है।

हमने पाँच वा 0क0का 0 में (अप्रैल 2014 एवं अक्टूबर 2015 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 408 व्यापारियों में से सात ने वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान फार्म 'सी' में घोषणा के विरुद्ध कर की रियायती दर पर ₹ 1.59 करोड़ मूल्य के माल का क्रय किया। ये माल उनके पंजीयन के प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं था जिसके लिये वे अभियोजन के बदले, ऐसे माल की बिक्री पर देय कर के डेढ़ गुने के अर्थदण्ड के भुगतान के दायी थे। क 0नि 0प्रा 0 ने मई 2013 एवं मार्च 2015 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय पंजीयन प्रमाण पत्र तथा फार्म 'सी' के उपयोग के विवरण की जाँच नहीं किया एवं परिणामस्वरूप ₹ 26.82 लाख का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया जैसा कि सारणी 4.16 में दर्शाया गया है।

**सारणी 4.16**  
**घोषणा पत्रों का दुरुपयोग**

								(₹ लाख में)
क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की सं०	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	पंजीकरण प्रमाणपत्र से अनाच्छादित वस्तु का नाम	क्रय की धनराशि	कर की दर (प्रतिशत)	अर्थदण्ड की दर (प्रतिशत)	आरोपणीय अर्थदण्ड
1	डि०कमि० खण्ड 4 इलाहाबाद	1	2012-13 (जून 2014)	एयर कन्डीशनर	41.66	13.5	20.25	8.44
2	डि०कमि० खण्ड 14 इलाहाबाद	1	2009-10 (मई 2013)	डी जी सेट	2.65	12.5	18.75	0.50
					7.60	13.5	20.25	1.54
3	डि०कमि० खण्ड 13 गाजियाबाद	1	2011-12 (जनवरी 2015)	रबर, रबर स्क्रेप	22.20	5	7.5	1.66
				वुड फर्नीचर	5.45	13.5	20.25	1.10
				प्लाइवुड, धिनर	6.18	5	7.5	0.46
4	ज्वा०कमि० (का०स०)-II लखनऊ	1	2011-12 (जुलाई 2014)	पलो मीटर	20.09	13.5	20.25	4.07
5	डि०कमि० खण्ड 8 कानपुर	1	2010-11 (जुलाई 2013)	सीमेन्ट	15.51	15.5	23.25	3.61
				रूफ शीट	17.33	5	7.5	1.30
				सीमेन्ट	1.55	15.5	23.25	0.36
				कूल्ड चिलर	10.30	13.5	20.25	2.09
		1	2011-12 (जुलाई 2014)	एयर कन्डीशनर	8.36	13.5	20.25	1.69
<b>योग</b>		<b>7</b>			<b>158.88</b>			<b>26.82</b>

स्रोत: लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित उपलब्ध सूचना

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (जून 2014 और मार्च 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं



अनुपालन में डि०कमि० खण्ड 13 गाजियाबाद ने दो मामलों में क्रमशः ₹ 1.66 लाख एवं ₹ 0.96 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया। शेष मामलों के लिये विभाग ने बताया कि कार्यवाही चल रही है (सितम्बर 2016)।

#### 4.10 ब्याज का कम/न प्रभारित किया जाना

व्यापारियों ने ₹ 6.91 करोड़ के स्वीकार किये गये कर को विलम्ब से जमा किया था, जिस पर ₹ 2.17 करोड़ ब्याज प्रभार्य था किन्तु इसे कर निर्धारण के समय प्रभारित नहीं किया गया।

उ०प्र०व्या०क० अधिनियम की धारा 8 (1) एवं उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम 2008 की धारा 33(2) सपठित उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा 13 के अन्तर्गत कर का भुगतान करने के लिये जिम्मेदार प्रत्येक व्यापारी को देय तिथि की समाप्ति से पहले ऐसी कर की धनराशि को राजकीय कोष में जमा कर देना चाहिए जिसमें असफल रहने पर असंदत्त धनराशि पर निर्धारित अन्तिम दिनांक के ठीक अगले दिनांक से ऐसी धनराशि के भुगतान के दिनांक तक, 11 अगस्त 2004 तक दो प्रतिशत प्रतिमाह और उसके पश्चात 31 दिसम्बर 2007 तक 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा 1 जनवरी 2008 से सवा प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा।

हमने आठ वा०क०का०<sup>23</sup> में (अप्रैल 2015 एवं जनवरी 2016 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 643 व्यापारियों में से आठ ने वर्ष 2006-07 से 2012-13 के दौरान स्वीकार किया गया कर ₹ 6.91 करोड़ 90 दिन से 3,080 दिनों के विलम्ब से बिना ब्याज के जमा किया था। स्वीकार किये गये कर की विलम्ब से जमा की गयी धनराशि पर जमा की तिथि तक ₹ 2.17 करोड़ ब्याज आकर्षित हुआ। कर निर्धारण प्राधिकारियों ने दिसम्बर 2013 एवं मार्च 2015 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय ₹ 2.17 करोड़ ब्याज प्रभारित नहीं किया (परिशिष्ट-XXX)।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (मई 2015 और फरवरी 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि तीन मामलों में ₹ 82.70 लाख ब्याज प्रभारित कर दिया गया है जिसमें से ₹ 15.60 लाख की वसूली कर ली गयी है। शेष मामलों के लिये विभाग ने बताया कि कार्यवाही चल रही है (सितम्बर 2016)।

#### 4.11 इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई०टी०सी०) से सम्बन्धित अनियमिततायें



विभाग के अभिलेखों की हमारी जाँच में 35 वा०क०का० से सम्बन्धित वर्ष 2009-10 से 2012-13 की अवधि के 4,041 व्यापारियों में से 45 मामलों में आई०टी०सी० दावे से सम्बन्धित ₹ 3.29 करोड़ की विभिन्न अनियमितताओं के मामले जैसे अनियमित/गैर अनुमन्य

<sup>23</sup> डि०कमि० खण्ड 14 इलाहाबाद, ज्वा०कमि०(का०स०)-II, डि०कमि० खण्ड 15 गाजियाबाद, डि०कमि० खण्ड 3 गौतम बुद्ध नगर, ज्वा०कमि०(का०स०) झाँसी, ज्वा०कमि०(का०स०) II कानपुर, डि०कमि० खण्ड 12 लखनऊ एवं डि०कमि० खण्ड सिकन्दराबाद।

**31 मार्च 2016 को समाप्त हुये वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)**

आईटीसी के दावे, अधिक दावा, आईटीसी का उत्क्रमित न किया जाना, अर्थदण्ड का अनारोपण एवं उस पर ब्याज को प्रभारित न किया जाना आदि का पता चला। कुछ मामले निम्नलिखित प्रस्तरों में दिये गये हैं।

**4.11.1 करमुक्त बिक्री पर आईटीसी का न/कम उत्क्रमित किया जाना**

व्यापारियों ने उन माल की खरीद के सम्बन्ध में जिनकी बिक्री करमुक्त थी, ₹ 12.18 लाख की आईटीसी को उत्क्रमित नहीं किया था। कर निर्धारण के समय कनिप्रा द्वारा भी उसे ₹ 2.69 लाख ब्याज सहित उत्क्रमित नहीं किया गया था।

उपसं0 अधिनियम की धारा 13(7) सपठित धारा 7 के अन्तर्गत किसी व्यापारी द्वारा, जहाँ व्यापारी द्वारा ऐसे माल की बिक्री कर के भुगतान से मुक्त हो अथवा ऐसे माल का उपयोग या उपभोग किसी माल के विनिर्माण या पैकिंग में किया गया हो तथा व्यापारी द्वारा ऐसे विनिर्मित या पैक किये गये माल की बिक्री करमुक्त हो, इनपुट टैक्स की किसी धनराशि का दावा नहीं किया जायेगा और ऐसे माल के क्रय के सम्बन्ध में किसी व्यापारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट की किसी सुविधा की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि व्यापारी द्वारा आईटीसी का दावा किया जाता है तो यह 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित उत्क्रमणीय होगा।

हमने डि0कमि0 खण्ड 7 कानपुर कार्यालय में कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 152 व्यापारियों में से एक व्यापारी ने वर्ष 2010-11 से 2012-2013 के दौरान उन वस्तुओं की खरीद पर ₹ 12.18 लाख की आईटीसी को त्रुटिपूर्ण रूप से प्राप्त किया था जिनकी ₹ 5.34 करोड़ मूल्य की बिक्री कर के भुगतान से मुक्त थी। कनिप्रा ने जून 2012 एवं फरवरी 2015 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय न तो इस अननुमन्य आईटीसी को उत्क्रमित किया और न ही ब्याज की माँग सृजित की। इस प्रकार ₹ 12.18 लाख की आईटीसी उत्क्रमित नहीं हुई तथा ₹ 2.69 लाख ब्याज भी प्रभारित नहीं किया गया। विवरण सारणी 4.17 में उल्लिखित हैं।

**सारणी 4.17**

**करमुक्त बिक्री पर आईटीसी का न/कम उत्क्रमित किया जाना**

(₹ लाख में)							
क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की सं0	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	कुल बिक्री	करमुक्त बिक्री	कनिप्रा द्वारा आरआईटीसी नहीं/कम की गयी	प्रभारणीय ब्याज
1	डि0कमि0 खण्ड 7 कानपुर	1	2010-11 (जून 2012)	349.67	204.90	5.51	0.94
			2011-12 (अक्टूबर 2013)	862.84	140.39	2.04	0.47
			2012-13 (फरवरी 2015)	923.45	188.77	4.63	1.28
	<b>योग</b>	<b>1</b>		<b>2,135.96</b>	<b>534.06</b>	<b>12.18</b>	<b>2.69</b>

स्रोत: कर निर्धारण पत्रावलियों के आधार पर उपलब्ध सूचना

हमने मामले को विभाग एवं शासन को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि कार्यवाही चल रही है (सितम्बर 2016)।

#### 4.11.2 मिथ्या / कपटपूर्ण आईटीसी का दावा

प्रतिसत्यापन किये जाने पर व्यापारियों द्वारा दावा की गयी ₹ 30.89 लाख की आईटीसी मिथ्या पायी गयी थी। यद्यपि कि इसे क०नि०प्रा० द्वारा उत्क्रमित कर दिया गया था, परन्तु व्यापारियों के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गयी थी।

उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम, 2008 की धारा 13 सपटित उ०प्र०मू०सं०क० नियमावली, 2008 के नियम 24 के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा कर बीजक के विरुद्ध पंजीकृत व्यापारियों से की गयी खरीद पर दिये गये कर या अपंजीकृत व्यापारियों से की गयी खरीद पर नकद जमा धनराशि पर उनके द्वारा की गयी ऐसी बिक्री अथवा खरीद पर संदत्त या संदेय कर की धनराशि की सीमा तक आईटीसी अनुमन्य है। मू०सं०क० अधिनियम की धारा 54(1)(19) के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि क०नि०प्रा० संतुष्ट है कि, यथास्थिति, जहाँ कोई व्यापारी या कोई अन्य व्यक्ति आईटीसी के रूप में मिथ्या या कपटपूर्ण तरीके से धनराशि का दावा करता है, वह ऐसे व्यापारी या व्यक्ति को, उसके द्वारा देय कर यदि कोई हो, के साथ-साथ, अर्थदण्ड के रूप में आईटीसी की धनराशि के पाँच गुने के बराबर धनराशि का भुगतान करने के लिये निर्देशित कर सकता है।

हमने 11 वा०क०का०<sup>24</sup> में (नवम्बर 2014 एवं जनवरी 2016 के मध्य) कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 1,206 व्यापारियों में से 13 के मामलों में क०नि०प्रा० ने व्यापारियों के आईटीसी के दावों का प्रतिसत्यापन किया और पाया कि व्यापारियों द्वारा वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान ₹ 30.89 लाख की आईटीसी की धनराशि का मिथ्या / कपटपूर्ण ढंग से दावा किया गया था। चूँकि व्यापारियों द्वारा आईटीसी का मिथ्या / कपटपूर्ण ढंग से दावा किया गया था, वे आईटीसी की धनराशि के पाँच गुने के बराबर अर्थदण्ड के रूप में धनराशि के भुगतान करने के दायी थे। यद्यपि कि क०नि०प्रा० ने मार्च 2013 एवं मार्च 2015 के दौरान कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय आईटीसी को उत्क्रमित कर दिया था परन्तु ₹ 1.54 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया (परिशिष्ट-XXXI)।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (जनवरी 2015 एवं फरवरी 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी के दौरान शासन / विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि तीन मामलों ₹ 18.58 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है। शेष मामलों के लिये विभाग ने बताया कि कार्यवाही चल रही है (सितम्बर 2016)।

#### 4.11.3 आईटीसी का अनियमित समायोजन और ब्याज का प्रभारित न किया जाना

क०नि०प्रा० ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय ₹ 30.23 लाख की ब्याज सहित माँग सृजित करने के बजाय इस अननुमन्य आईटीसी को उत्क्रमित कर दिया एवं इसे व्यापारियों के शेष आईटीसी से समायोजित कर दिया।

उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम 2008 की धारा 14(2) के अन्तर्गत, यदि किसी व्यापारी के स्वतः संज्ञान में यह आता है कि उसने किसी ऐसी आईटीसी का दावा कर लिया है जो कि अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है, तो वह ऐसी घटना के संज्ञान में आने के बाद अगली कर विवरणी दाखिल करते समय इसे उत्क्रमित करेगा।

<sup>24</sup> डि०कमि० खण्ड 4 एवं 8 इलाहाबाद, ज्वा०कमि०(का०स०)-II, डि०कमि० खण्ड 10 गाजियाबाद, डि०कमि० खण्ड 2 गोनडा, असि०कमि० खण्ड 1 हापुड़, डि०कमि० खण्ड 3, असि०कमि० खण्ड 4 कानपुर, डि०कमि० खण्ड कोसीकलां, मथुरा, डि०कमि० खण्ड 5 मथुरा एवं डि०कमि० खण्ड 6 मेरठ।

**31 मार्च 2016 को समाप्त हुये वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)**

व्यापारी उत्क्रमित की गयी आईटीसी का धनराशि को 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज सहित कोषागार में जमा करने का दायी होगा।

हमने ज्वाकमि(कास0)-II गाजियाबाद में कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच की (नवम्बर 2015) एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 47 व्यापारियों में से तीन ने वर्ष 2010-11 से 2011-12 के दौरान ₹ 30.23 लाख की आईटीसी का दावा किया था, जो कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुकूल नहीं था। कनि0प्रा0 ने मार्च 2014 एवं मार्च 2015 के मध्य कर निर्धारण करते समय इस पर देय ब्याज प्रभारित किये बिना इस अननुमन्य आईटीसी को उत्क्रमित किया एवं इसे व्यापारी के अवशेष आईटीसी से समायोजित कर दिया, जबकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार व्यापारी इस उत्क्रमित की गयी आईटीसी की धनराशि को साधारण ब्याज सहित जमा करने के दायी थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 30.23 लाख की आईटीसी का अनियमित समायोजन हुआ और फलस्वरूप ₹ 14.24 लाख का ब्याज प्रभारित नहीं किया गया जैसा कि सारणी 4.18 में दर्शाया गया है।

**सारणी 4.18**

**आईटीसी का अनियमित समायोजन और ब्याज का प्रभारित न किया जाना**

(₹ लाख में)							
क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की सं०	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	आईटीसी से समायोजित आरआईटीसी की धनराशि	अवधि	दिन	आरोपणीय ब्याज
1.	ज्वाकमि(कास0)-II गाजियाबाद	1	2011-12 (सितम्बर 2014)	2.72	01.04.12 से 02.09.14	885	0.99
				12.58	01.10.11 से 02.09.14	1,068	5.52
		1	2010-11 (मार्च 2014)	5.81	01.10.10 से 20.03.14	1,267	3.02
				5.21	01.10.11 से 31.03.15	1,278	2.74
		1	2011-12 (फरवरी 2015)	3.91	01.10.11 से 01.02.15	1,220	1.97
<b>योग</b>		<b>3</b>		<b>30.23</b>			<b>14.24</b>

स्रोत: कर निर्धारण पत्रावलियों पर आधारित पर उपलब्ध सूचना

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (दिसम्बर 2015)। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि एक मामले में ₹ 5.76 लाख का ब्याज प्रभारित कर दिया गया है। इस प्रकरण में उत्क्रमित इनपुट टैक्स क्रेडिट (आरआईटीसी) की धनराशि जमा नहीं की गयी थी। एक व्यापारी के मामले में विभाग ने बताया कि ₹ 11.34 लाख ब्याज पहले ही प्रभारित किया जा चुका है। हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि कनि0प्रा0 द्वारा ₹ 12.58 लाख एवं ₹ 2.72 लाख की आरआईटीसी कर निर्धारण के समय की गयी थी जिस पर ब्याज प्रभारणीय था। एक अन्य व्यापारी के मामले में विभाग ने बताया कि उत्क्रमित आईटीसी उसी वर्ष में जमा की गयी थी अतः ब्याज प्रभारणीय नहीं था। हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि कनि0प्रा0 द्वारा ₹ 3.91 लाख की आरआईटीसी कर निर्धारण के समय की गयी थी जिस पर ब्याज प्रभारणीय था (सितम्बर 2016)।

#### 4.11.4 अननुमन्य आईटीसी

व्यापारियों ने ₹ 56.51 लाख की आईटीसी का गलत दावा किया जिसे कर निर्धारण के समय ब्याज सहित उत्क्रमित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 56.51 लाख की आईटीसी कम/नहीं उत्क्रमित हुई तथा ₹ 20.64 लाख के ब्याज का भी प्रभारण नहीं हुआ।

उपरोक्त अधिनियम, 2008 की धारा 13 के अन्तर्गत एक पंजीकृत व्यापारी द्वारा प्रांत के अन्दर से क्रय किये गये कर योग्य माल पर अधिनियम की अनुसूची I से V में निर्धारित दरों पर संदत्त अथवा संदेय कर की सीमा तक आईटीसी अनुमन्य है। पुनश्च अधिनियम की धारा 14 (2) के अन्तर्गत यदि किसी व्यापारी द्वारा किसी माल के सम्बन्ध में गलत तरीके से आईटीसी का दावा किया है तो आईटीसी का लाभ उस सीमा तक जहाँ तक यह अनुमन्य नहीं है, 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज सहित उत्क्रमित किया जाएगा।

हमने 13 वाकका<sup>25</sup> में (मार्च 2015 एवं जनवरी 2016 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों तथा पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 1,570 व्यापारियों में से 15 ने वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान ₹ 56.51 लाख की गलत आईटीसी का दावा किया जो कि उनको अनुमन्य नहीं थी। कनिप्रा को दिसम्बर 2012 एवं मार्च 2015 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय इस अननुमन्य आईटीसी को उत्क्रमित करना चाहिये था और व्यापारियों को इस उत्क्रमित आईटीसी की धनराशि जो उत्क्रमित नहीं की गयी थी, को साधारण ब्याज सहित जमा करने के लिए आदेशित करना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 56.51 लाख के आईटीसी का कम/उत्क्रमण नहीं हुआ तथा ब्याज ₹ 20.64 लाख प्रभारित नहीं हुआ (परिशिष्ट-XXXII)।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2015 एवं फरवरी 2016 के मध्य)। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि दो मामलों में धनराशि ₹ 14.91 लाख की आईटीसी उत्क्रमित कर दी गयी है। इन्हीं प्रकरणों में विभाग द्वारा ब्याज प्रभारित नहीं किया गया था। शेष मामलों के लिये विभाग ने बताया कि कार्यवाही की जा रही है (सितम्बर 2016)।

#### 4.11.5 माल के खरीद मूल्य से कम मूल्य पर की गयी बिक्री पर आईटीसी का उत्क्रमित न किया जाना।

कनिप्रा ने व्यापारियों के उन वस्तुओं के सम्बन्ध में दावा की गयी ₹ 9.03 लाख की आईटीसी, जिनकी बिक्री खरीद मूल्य से कम मूल्य पर की गयी थी, को उत्क्रमित नहीं किया था।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (1)(च) के अन्तर्गत जहाँ क्रय किये गये माल का पुनर्विक्रय किया गया है या ऐसे क्रय किये गये माल का प्रयोग या उपयोग करके निर्मित या प्रसंस्कृत माल का उस मूल्य पर विक्रय किया गया है, जो पुनर्विक्रय की स्थिति में ऐसे माल के क्रय मूल्य से, या निर्माण की स्थिति में लागत मूल्य से कम हो तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि का दावा और उसकी अनुमति, माल के विक्रय मूल्य, अथवा निर्मित माल पर संदेय कर की सीमा तक होगी। यदि व्यापारी आईटीसी की सम्पूर्ण धनराशि का दावा करता है तो माल के विक्रय मूल्य पर संदेय

<sup>25</sup> डिकमि0 खण्ड 8 इलाहाबाद, डिकमि0 खण्ड 2 औरैया, डिकमि0 खण्ड भरथना, डिकमि0 खण्ड 3 गौतम बुद्ध नगर, डिकमि0 खण्ड 1 हापुड़, डिकमि0 खण्ड 2 हरदोई, ज्वाकमि0(कासो)- I, II, डिकमि0 खण्ड 10, 16 एवं 28 कानपुर, डिकमि0 खण्ड 2 मेरठ एवं डिकमि0 खण्ड 5 नोएडा।

### 31 मार्च 2016 को समाप्त हुये वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)

कर की सीमा से अधिक आईटीसी की धनराशि 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ उत्क्रमणीय होगी।

हमने चार वाकका में (मई 2015 एवं फरवरी 2016 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 582 व्यापारियों में से छः ने 2011-12 के दौरान ₹ 23.70 करोड़ मूल्य के माल की खरीद की थी एवं ₹ 1.70 करोड़ की आईटीसी का दावा किया था तथा इसे ₹ 22.49 करोड़ में बेचा था। व्यापारियों ने माल के विक्रय मूल्य पर देय कर ₹ 1.61 करोड़ की सीमा के बजाय माल के खरीद मूल्य पर आईटीसी प्राप्त किया। कनिप्रा ने मार्च 2014 एवं मार्च 2015 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय न तो इस अननुमन्य आईटीसी को उत्क्रमित किया और न ही साधारण ब्याज सहित इसकी माँग सृजित की। इस प्रकार ₹ 9.03 लाख आईटीसी उत्क्रमित नहीं की गयी तथा फलस्वरूप ₹ 4.30 लाख ब्याज भी प्रभारित नहीं किया गया जैसा कि विवरण सारणी 4.19 में दिया गया है।

#### सारणी 4.19

माल के खरीद मूल्य से कम मूल्य पर की गयी बिक्री पर आईटीसी का उत्क्रमित न किया जाना

							(₹ लाख में)
क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की सं०	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	व्यापारी द्वारा दावा की गयी आईटीसी की धनराशि	बिक्री पर कर	कनिप्रा द्वारा न की गयी आरआईटीसी की धनराशि	आरोपणीय ब्याज
1	डिकमि खण्ड 1 कानपुर	1	2011-12 (फरवरी 2015)	18.53	15.85	2.68	1.37
2	डिकमि खण्ड 8 कानपुर	1	2011-12 (मार्च 2014)	6.26	4.74	1.52	0.57
		1	2011-12 (जनवरी 2015)	61.79	60.20	1.59	0.79
		1	2011-12 (मार्च 2015)	2.30	0.55	1.75	0.90
3	डिकमि खण्ड 27 कानपुर	1	2011-12 (फरवरी 2015)	1.43	0.97	0.46	0.23
4	डिकमि खण्ड 1 लखनऊ	1	2011-12 (जुलाई 2014)	79.67	78.64	1.03	0.44
<b>योग</b>		<b>6</b>		<b>169.98</b>	<b>160.95</b>	<b>9.03</b>	<b>4.30</b>

स्रोत: कर निर्धारण पत्रावलियों पर आधारित उपलब्ध सूचना

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (दिसम्बर 2015)। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि सभी मामलों में कार्यवाही चल रही है (सितम्बर 2016)।

#### 4.11.6 व्यापारियों द्वारा दावा की गयी दरों से कम पर करयोग्य माल के क्रय पर आईटीसी का गलत दावा किया जाना

कनिप्रा ने व्यापारियों के उन वस्तुओं के सम्बन्ध में दावा की गयी ₹ 16.57 लाख की आईटीसी, जो व्यापारियों द्वारा किये गये दावे से कम दरों पर करयोग्य थीं, को उत्क्रमित नहीं किया था।

उप्रमूसंक अधिनियम, 2008 की धारा 13 सपठित उप्रमूसंक नियमावली, 2008 के नियम 24 के अन्तर्गत, पुनर्बिक्री या पुनर्विक्रयार्थ माल के निर्माण में प्रयोग के लिए कुछ शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ, एक पंजीकृत व्यापारी द्वारा प्रान्त के अन्दर से

की गई कर योग्य माल की खरीद पर संदत्त या संदेय कर पर उक्त अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत सुसंगत खण्डों के अनुसार दी गयी सीमा तक आईटीसी का लाभ अनुमन्य है। अधिनियम की अनुसूची-I से V तक में प्रत्येक वस्तु के लिए लागू कर की दर को विहित किया गया है। अधिनियम की धारा 14 (2) के अन्तर्गत यदि किसी व्यापारी ने किसी माल के सम्बन्ध में गलत तरीके से आईटीसी का दावा किया है तो आईटीसी का लाभ उस सीमा तक जहाँ तक यह अनुमन्य नहीं है, 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज सहित उत्क्रमित किया जाएगा।

हमने छ: वाकका<sup>26</sup> में (अप्रैल 2015 एवं जनवरी 2016 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 681 व्यापारियों में से सात ने वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान ₹ 2.71 करोड़ की खरीद पर 13.5 से 15.5 प्रतिशत की दर से ₹ 16.57 लाख की आईटीसी का गलत दावा किया था। ये वस्तुयें उप्रमूसंका अधिनियम की अनुसूची II तथा केबिका अधिनियम की धारा 14 की सूची में वर्णित हैं और लागू कर की दर चार से पाँच प्रतिशत है। कनिप्रा ने जनवरी 2014 एवं मार्च 2015 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय इस तथ्य को संज्ञान में नहीं लिया और बिना विस्तृत जाँच किये और प्रतिसत्यापन किये कि व्यापारी चार से पाँच प्रतिशत की करदेयता वाली वस्तुओं पर 13.5 से 15.5 प्रतिशत की दर से आईटीसी का दावा कर रहे थे व्यापारियों को अधिक गैर अनुमन्य आईटीसी को अनुमन्य किया। यह गलत दावा ₹ 24.72 लाख की आईटीसी और ब्याज का उत्क्रमण (आईटीसी ₹ 16.57 लाख एवं ₹ 8.15 लाख ब्याज) आकर्षित करता है (परिशिष्ट-XXXIII)।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2015 एवं मार्च 2016 के मध्य)। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि एक मामले में ₹ 6.09 लाख की आईटीसी उत्क्रमित कर दी गयी है। बताये गये वर्णित प्रकरण में विभाग द्वारा ब्याज प्रभारित नहीं किया गया है। शेष मामलों के लिये विभाग ने बताया कि कार्यवाही की जा रही है। (सितम्बर 2016)।

<sup>26</sup> डिकमि खण्ड 2 अम्बेडकरनगर, डिकमि खण्ड 2 गौतम बुद्ध नगर, डिकमि खण्ड 12, 14 एवं 29 कानपुर तथा डिकमि खण्ड 4 लखनऊ।